



राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

वीरवार, 10 जुलाई, 2025 / 19 आषाढ़, 1947

हिमाचल प्रदेश सरकार

पंचायती राज विभाग

अधिसूचना

शिमला—171009, 5 जुलाई, 2025

संख्या: पी0सी0एच0 ए0(1)18/2008-III-11695/11886.— हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम संख्यांक 4) की धारा 183 और 186 द्वारा प्रदत्त

76—राजपत्र / 2025—10—07—2025 (3707)

शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस विभाग की अधिसूचना संख्या: पीसीएच-एचए (3) 6/94, तारीख 7 फरवरी, 1995 द्वारा अधिसूचित और तारीख 8 फरवरी, 1995 को राजपत्र, हिमाचल प्रदेश (आसाधारण) में प्रकाशित हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (निर्वाचन) नियम, 1994 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं और इन्हें उपरोक्त अधिनियम की धारा 186 की उप-धारा (3) के अधीन यथा अपेक्षित जनसाधारण की सूचना हेतु राजपत्र, (ई-गजट) हिमाचल प्रदेश में एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है;

यदि इन प्रारूप नियमों से संभाव्य प्रभावित होने वाले हितबद्ध व्यक्ति को प्रस्तावित नियमों की बाबत कोई आक्षेप (पों) सुझाव (वों) है/हैं, तो वह उसे/उन्हें प्रारूप नियमों के राजपत्र (ई-गजट), हिमाचल प्रदेश में प्रकाशन की तारीख से पन्द्रह दिन की अवधि के भीतर निदेशक, पंचायती राज, हिमाचल प्रदेश एस.डी.ए. कॉम्प्लेक्स कसुम्पटी, शिमला-171009, को भेज सकेगा;

उपरोक्त नियत अवधि के भीतर प्राप्त हुए आक्षेप(पों) या सुझाव(वो), यदि कोई है/हैं, पर इन नियमों को अंतिम रूप देने से पूर्व सरकार द्वारा विचार किया जाएगा, अर्थात् :—

प्रारूप नियम

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ।—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (निर्वाचन) द्वितीय संशोधन नियम, 2025 है।

(2) ये नियम राजपत्र (ई-गजट) हिमाचल प्रदेश में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. नियम 28 का संशोधन।—2. हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (निर्वाचन) नियम, 1994 (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 28 के उप-नियम (8-क) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

“(8-क) इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी, हिमाचल प्रदेश पंचायतीराज (निर्वाचन) द्वितीय संशोधन नियम, 2025 के प्रारंभ के पश्चात् संचालित किए जाने वाले निर्वाचनों के लिए स्थानों के आरक्षण का रोस्टर, प्रारंभिक चरण से इस प्रकार प्रचालित होगा, मानो कि उक्त निर्वाचन उप-नियम (8) के अधीन प्रथम बार संचालित किए जा रहे हों और तत्पश्चात्, स्थानों का आरक्षण इस नियम के अधीन विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों में चक्रानुक्रमित किया जाएगा।”

3. नियम 87 का संशोधन।—उपरोक्त नियमों के नियम 87 के उप-नियम (8-क) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

“(8-क) इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (निर्वाचन) द्वितीय संशोधन नियम, 2025 के प्रारम्भ होने के पश्चात् संचालित किए जाने वाले निर्वाचनों के लिए पदों के आरक्षण का रोस्टर, प्रारंभिक चरण से इस प्रकार प्रचालित होगा, मानो उक्त निर्वाचन उप-नियम (8) के अधीन पहली बार संचालित किए जा रहे हों और तत्पश्चात्, पदों का आरक्षण इस नियम के अधीन विभिन्न ग्राम सभाओं में चक्रानुक्रमित किया जाएगा।”

4. नियम 88 का संशोधन।—उपरोक्त नियमों के नियम 88 के उप-नियम (8-क) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

“(8-क) इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (निर्वाचन) द्वितीय संशोधन नियम, 2025 के प्रारम्भ होने के पश्चात् किए जाने वाले निर्वाचनों के लिए पदों के आरक्षण का रोस्टर, प्रारंभिक चरण से इस प्रकार प्रचालित होगा, मानो उक्त निर्वाचन उप-नियम (8) के अधीन पहली बार संचालित किए जा रहे हों और तत्पश्चात्, पदों का आरक्षण इस नियम के अधीन विभिन्न पंचायत समितियों में चक्रानुक्रमित किया जाएगा।”

5. नियम 89 का संशोधन।—उपरोक्त नियमों के नियम 88 के उप-नियम (8-क) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:—

“(8-क) इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (निर्वाचन) द्वितीय संशोधन नियम, 2025 के प्रारम्भ होने के पश्चात् संचालित किए जाने वाले निर्वाचनों के लिए पदों के आरक्षण का रोस्टर, प्रारम्भिक चरण से इस प्रकार प्रचालित होगा, मानो उक्त निर्वाचन उप-नियम (8) के अधीन पहली बार संचालित किए जा रहे हों और तत्पश्चात् पदों का आरक्षण इस नियम के अधीन विभिन्न जिला परिषदों में चक्रानुक्रमित किया जाएगा।”

आदेशद्वारा,

सचिव (पंचायती राज)।

[Authoritative English text of this Department Notification Number PCH-HA(1)18/2008-III, dated 05-07-2025 as required under clause(3) of Article 348 of the Constitution of India].

PANCHAYATI RAJ DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171 009, the 5th July, 2025

No. PCH-HA (1)18/2008-III-11695/11886 —In exercise of the powers conferred by Sections 183 and 186 of the Himachal Pradesh Panchayati Raj Act, 1994 (Act No. 4 of 1994), the Governor, Himachal Pradesh, proposes to make the following rules, further to amend the Himachal Pradesh Panchayati Raj (Election) Rules, 1994 notified *vide* this Department Notification No. PCH-HA (3) 6/94, dated 7th February, 1995 and published in the Rajpatra, Himachal Pradesh (Extra-ordinary) on 8th February, 1995 and the same are hereby published in the Rajpatra (e-Gazette) Himachal Pradesh, for the information of the general public as required under sub-section (3) of section 186 of the above Act;

If any interested person, likely to be affected by these draft rules has any objection(s)/suggestion(s) with regard to the proposed rules, he/she may send the written objection(s) or suggestion(s) to the Director, Panchayati Raj, Himachal Pradesh, SDA Complex, Kasumpti, Shimla-171 009, within a period of fifteen days from the date of publication of the draft rules in the Rajpatra (e-Gazette) Himachal Pradesh;

The objection(s) or suggestion(s), if any, received within the period stipulated above shall be taken into consideration by the State Government before finalizing these draft rules, namely :—

DRAFT RULES

1. Short title and commencement.—(1)These rules may be called the Himachal Pradesh Panchayati Raj (Election) Second Amendment Rules, 2025.

(2) These rules shall come into force from the date of their publication in Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh.

2. Amendment of rule 28.—In rule 28 of H.P. Panchayati Raj (Election) Rules, 1994 (hereinafter referred to as the ‘said rules’) for sub-rule (8-A), the following shall be substituted namely:—

“(8-A) Notwithstanding anything contained in these rules, the roster of reservation of seats shall operate from the initial stage for the elections to be held after the commencement of the Himachal Pradesh Panchayati Raj (Election) Second Amendment Rules, 2025 as if the said elections are being conducted for the first time under sub-rule (8) and thereafter, the reservation of seats shall be rotated to different constituencies under this rule.”

3. Amendment of rule 87.—In rule 87 of the ‘said rules’ for sub-rule (8-A), the following shall be substituted, namely:—

“(8-A) Notwithstanding anything contained in these rules, the roster of reservation of offices shall operate from the initial stage for the elections to be held after the commencement of the Himachal Pradesh Panchayati Raj (Election) Second Amendment Rules, 2025 as if the said elections are being conducted for the first time under sub-rule (8) and thereafter, the reservation of offices shall be rotated to different Gram Sabhas under this rule.”

4. Amendment of rule 88.—In rule 88 of the ‘said rules’ for sub-rule (8-A), the following shall be substituted, namely:—

“(8-A) Notwithstanding anything contained in these rules, the roster of reservation of offices shall operate from the initial stage for the elections to be held after the commencement of the Himachal Pradesh Panchayati Raj (Election) Second Amendment Rules, 2025 as if the said elections are being conducted for the first time under sub-rule (8) and thereafter, the reservation of offices shall be rotated to different Panchayat Samitis under this rule.”

5. Amendment of rule 89.—In rule 89 of the ‘said rules’ for sub-rule (8-A), the following shall be substituted, Namely:—

“(8-A) Notwithstanding anything contained in these rules, the roster of reservation of offices shall operate from the initial stage for the elections to be held after the commencement of the Himachal Pradesh Panchayati Raj (Election) Second Amendment Rules, 2025 as if the said elections are being conducted for the first time under sub-rule (8) and thereafter, the reservation of offices shall be rotated to different Zila Parishads under this rule.”

By order,

Secretary (Panchayati Raj).

MEDICAL EDUCATION & RESEARCH DEPARTMENT**NOTIFICATION***Shimla-2, the 7th July, 2025*

Comp. No. 39159, File No. HFW-B-B03/68/2021.—The Governor, Himachal Pradesh is pleased to order that Dr. Renu Gupta, Professor, Prosthodontics, in H.P. Government Dental College & Hospital, Shimla on completion of 62 years of age stands superannuated from the Government service on 30-06-2025.

By order,

Secretary (Health).

गृह मंत्रालय
(भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 जून, 2025

का. आ. 2681 (अ).—केंद्रीय सरकार, जनगणना अधिनियम, 1948 (1948 का 37) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत के राजपत्र असाधारण, भाग 2, खंड 3 उपखंड (ii) तारीख 28 मार्च, 2019 में प्रकाशित भारत सरकार के गृह मंत्रालय (भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय) की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1455 (अ) तारीख 26 मार्च, 2019 के अधिक्रमण में, उन बातों के सिवाय जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, यह घोषणा करती है कि भारत की जनसंख्या की जनगणना वर्ष 2027 के दौरान की जाएगी।

2. उक्त जनगणना के लिए संदर्भ तारीख, संघ राज्यक्षेत्र लद्दाख के और संघ राज्यक्षेत्र जम्मू-कश्मीर तथा हिमाचल प्रदेश एवं उत्तराखण्ड राज्यों के हिमाच्छादित असमकालिक क्षेत्रों के सिवाय, मार्च, 2027 के पहले दिन के 00:00 बजे होगी।

3. संघ राज्यक्षेत्र लद्दाख के लिए और संघ राज्यक्षेत्र जम्मू-कश्मीर तथा हिमाचल प्रदेश एवं उत्तराखण्ड राज्यों के हिमाच्छादित असमकालिक क्षेत्रों के लिए संदर्भ तारीख अक्टूबर, 2026 के पहले दिन के 00:00 बजे होगी।

[फा.सं. 9/8/2025—सीडी (सीइएन)]

मृत्युंजय कुमार नारायण,
भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त।

MINISTRY OF HOME AFFAIRS
(OFFICE OF REGISTRAR GENERAL, INDIA)

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th June, 2025

S.O. 2681(E).—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Census Act, 1948 (37 of 1948), and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Home Affairs (Office of the Registrar General, India) number S.O. 1455(E), dated the 26th March, 2019 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, sub-section (ii), dated the 28th March, 2019, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby declares that a census of the population of India shall be taken during the year 2027.

2. The reference date for the said census shall be 00.00 hours of the 1 day of March, 2027, except for the Union territory of Ladakh and snow-bound non-synchronous areas of the Union territory of Jammu and Kashmir and the States of Himachal Pradesh and Uttarakhand.

3. In respect of the Union territory of Ladakh and snow-bound non-synchronous areas of the Union territory of Jammu and Kashmir and the States of Himachal Pradesh and Uttarakhand, the reference date shall be 00:00 hours of the 1st day of October, 2026.

[F.No: 9/8/2025- CD (Cen)]

MRITUNJAY KUMAR NARAYAN,
Registrar General and Census Commissioner, India .

In the Court of Tehsildar-cum-Executive Magistrate, Bharmour, District Chamba (H.P.)

Sh. Manoj Kumar s/o Sh. Foulad Singh, r/o Village Goha, P.O. Bharmour, Tehsil Bharmour, District Chamba, H.P.*Applicant.*

Versus

General Public

Proclamation under order 5 Rule 20 C.P.C. under Section 13(3) of the H.P. Registration of Births and Deaths Act, 1969.

Whereas, Sh. Manoj Kumar s/o Sh. Foulad Singh, r/o Village Goha, P.O. Bharmour, Tehsil Bharmour, District Chamba, H.P. has filed an affidavit for registration of Delayed Death of his/her Grandfather *i.e.* 03-03-1985 for further entry in the records of Gram Panchayat Bharmour, development block Bharmour. It has been stated in the application that due to some unavoidable circumstances death could not be registered well in time.

Sl. No.	Name	Date of Death
1.	Dukhriya s/o Jagta	03-03-1985

Hence, this proclamation is issued to the General Public, that if they have any objection/claim regarding the registration of death of above named in records of concerned Gram Panchayat Bharmour may file their claim/objection on or before one month of publication of this notice in Govt. Gazette in this court, failing which necessary orders will be passed.

Issued under my hand & seal today on this 28th day of June, 2025.

Seal.

Sd/-

*Tehsildar-cum-Executive Magistrate,
Bharmour, Distt. Chamba (H.P.).*

In the Court of Tehsildar-cum-Executive Magistrate, Bharmour, District Chamba (H.P.)

Sh. Gouri Shankar s/o Rattan Chand, r/o Village Sathali, P.O. Pranghala, Tehsil Bharmour, District Chamba, H.P. .Applicant.

Versus

General Public

Proclamation under order 5 Rule 20 C.P.C. under Section 13(3) of the H.P. Registration of Births and Deaths Act, 1969.

Whereas, Sh. Gouri Shankar s/o Rattan Chand, r/o Village Sathali, P.O. Pranghala, Tehsil Bharmour, District Chamba, H.P. has filed an affidavit for registration of Delayed Birth of his/her i.e. 20-07-1976 for further entry in the records of Gram Panchayat Pranghala, development block Bharmour. It has been stated in the application that due to some unavoidable circumstances birth could not be registered well in time.

Sl. No.	Name	Date of Birth
1.	Sh. Gouri Shankar s/o Rattan Chand	20-07-1976

Hence, this proclamation is issued to the General Public, that if they have any objection/claim regarding the registration of birth of above named in records of concerned Gram Panchayat Pranghala may file their claim/objection on or before one month of publication of this notice in Govt. Gazette in this court, failing which necessary orders will be passed.

Issued under my hand & seal today on this 28th day of June, 2025.

Seal.

Sd/-

*Tehsildar-cum-Executive Magistrate,
Bharmour, Distt. Chamba (H.P.).*

In the Court of Tehsildar-cum-Executive Magistrate, Bharmour, District Chamba (H.P.)

Smt. Tripta Devi d/o Mohan, r/o Village Sullo, P.O. Aura, Tehsil Bharmour, District Chamba, H.P. . .Applicant.

Versus

General Public

Proclamation under order 5 Rule 20 C.P.C. under Section 13(3) of the H.P. Registration of Births and Deaths Act, 1969.

Whereas, Smt. Tripta Devi d/o Mohan, r/o Village Sullo, P.O. Aura, Tehsil Bharmour, District Chamba, H.P. has filed an affidavit for registration of Delayed Birth of his/her i.e. 01-01-1969 for further entry in the records of Gram Panchayat Aura, development block Bharmour. It has been stated in the application that due to some unavoidable circumstances birth could not be registered well in time.

Sl. No.	Name	Date of Birth
1.	Smt. Tripta Devi d/o Mohan	01-01-1969

Hence, this proclamation is issued to the General Public, that if they have any objection/claim regarding the registration of birth of above named in records of concerned Gram Panchayat Aura may file their claim/objection on or before one month of publication of this notice in Govt. Gazette in this court, failing which necessary orders will be passed.

Issued under my hand & seal today on this 28th day of June, 2025.

Seal.

Sd/-

*Tehsildar-cum-Executive Magistrate,
Bharmour, Distt. Chamba (H.P.).*

In the Court of Tehsildar-cum-Executive Magistrate, Bharmour, District Chamba (H.P.)

Smt. Neemo Devi d/o Dawana Ram, r/o Village Mando, P.O. Serikao, Tehsil Bharmour, District Chamba, H.P. . .Applicant.

Versus

General Public

Proclamation under order 5 Rule 20 C.P.C. under Section 13(3) of the H.P. Registration of Births and Deaths Act, 1969.

Whereas, Smt. Neemo Devi d/o Dawana Ram, r/o Village Mando, P.O. Serikao, Tehsil Bharmour, District Chamba, H.P. has filed an affidavit for registration of Delayed Birth of his/her i.e. 26-06-1969 for further entry in the records of Gram Panchayat Chobia, development block Bharmour. It has been stated in the application that due to some unavoidable circumstances birth could not be registered well in time.

Sl. No.	Name	Date of Birth
1.	Smt. Neemo Devi d/o Dawana Ram	26-06-1969

Hence, this proclamation is issued to the General Public, that if they have any objection/claim regarding the registration of birth of above named in records of concerned Gram Panchayat Chobia may file their claim/objection on or before one month of publication of this notice in Govt. Gazette in this court, failing which necessary orders will be passed.

Issued under my hand & seal today on this 28th day of June, 2025.

Seal.

Sd/-
Tehsildar-cum-Executive Magistrate,
Bharmour, Distt. Chamba (H.P.).

In the Court of Tehsildar-cum-Executive Magistrate, Bharmour, District Chamba (H.P.)

Smt. Subhadra Devi d/o Dalti Ram, r/o Village Mando, P.O. Serikao, Tehsil Bharmour, District Chamba, H.P. . .Applicant.

Versus

General Public

Proclamation under order 5 Rule 20 C.P.C. under Section 13(3) of the H.P. Registration of Births and Deaths Act, 1969.

Whereas, Smt. Subhadra Devi d/o Dalti Ram, r/o Village Mando, P.O. Serikao, Tehsil Bharmour, District Chamba, H.P. has filed an affidavit for registration of Delayed Birth of his/her i.e. 01-05-1972 for further entry in the records of Gram Panchayat Chobia, development block Bharmour. It has been stated in the application that due to some unavoidable circumstances birth could not be registered well in time.

Sl. No.	Name	Date of Birth
1.	Smt. Subhadra Devi d/o Dalti Ram	01-05-1972

Hence, this proclamation is issued to the General Public, that if they have any objection/claim regarding the registration of birth of above named in records of concerned Gram Panchayat Chobia may file their claim/objection on or before one month of publication of this notice in Govt. Gazette in this court, failing which necessary orders will be passed.

Issued under my hand & seal today on this 28th day of June, 2025.

Seal.

Sd/-
Tehsildar-cum-Executive Magistrate,
Bharmour, Distt. Chamba (H.P.).

In the Court of Tehsildar-cum-Executive Magistrate, Bharmour, District Chamba (H.P.)

Smt. Durgo Devi d/o Hans Raj, r/o Village Superka, P.O. Bharmour, Tehsil Bharmour,
District Chamba, H.P. . .Applicant.

Versus

General Public

Proclamation under order 5 Rule 20 C.P.C. under Section 13(3) of the H.P. Registration of Births and Deaths Act, 1969.

Whereas, Smt. Durgo Devi d/o Hans Raj, r/o Village Superka, P.O. Bharmour, Tehsil Bharmour, District Chamba, H.P. has filed an affidavit for registration of Delayed Birth of his/her i.e. 12-05-1958 for further entry in the records of Gram Panchayat Bharmour, development block Bharmour. It has been stated in the application that due to some unavoidable circumstances birth could not be registered well in time.

Sl. No.	Name	Date of Birth
1.	Smt. Durgo Devi d/o Hans Raj	12-05-1958

Hence, this proclamation is issued to the General Public, that if they have any objection/claim regarding the registration of birth of above named in records of concerned Gram Panchayat Bharmour may file their claim/objection on or before one month of publication of this notice in Govt. Gazette in this court, failing which necessary orders will be passed.

Issued under my hand & seal today on this 30th day of June, 2025.

Seal.

Sd/-
*Tehsildar-cum-Executive Magistrate,
Bharmour, Distt. Chamba (H.P.).*

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग, ककीरा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

श्री बिश्म्बर सुपुत्र श्री जोधा, निवासी गांव लधुणी, डाकघर तारागढ़, उप-तहसील ककीरा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

प्रत्यार्थीगण।

विषय—प्रार्थना—पत्र बराये नाम दुरुस्ती बारे।

उपरोक्त प्रार्थी श्री बिश्म्बर सुपुत्र श्री जोधा, निवासी गांव लधुणी, डाकघर तारागढ़, उप-तहसील ककीरा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना—पत्र मय अन्य कागजात इस आशय से गुजारा है कि उसका सही नाम बिश्म्बर है, जोकि ग्राम पंचायत तारागढ़ के नकल परिवार रजिस्टर

व आधार कार्ड में सही दर्ज है लेकिन राजस्व विभाग के मुहाल बाईं-दा-बाग, पटवार वृत्त तारागढ़, उप-तहसील ककीरा, जिला चम्बा हिमाचल प्रदेश में गलती से फैको राम दर्ज है, जिसकी दुरुस्ती की जावे।

इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि प्रार्थी के नाम दुरुस्ती बारे यदि किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन अदालत अधोहस्ताक्षरी दिनांक 29-07-2025 को हाजिर आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जा करके नाम दुरुस्ती के आदेश दे दिये जाएंगे।

आज दिनांक 25-06-2025 को मेरे हस्ताक्षर व अदालत मोहर से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-
सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग,
ककीरा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग, ककीरा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

श्री जालम सिंह सुपुत्र श्री हीरा लाल, निवासी गांव डंगाड़ी, डाकघर तारागढ़, उप-तहसील ककीरा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

प्रत्यार्थीगण।

विषय—प्रार्थना—पत्र बराये नाम दुरुस्ती बारे।

उपरोक्त प्रार्थी श्री जालम सिंह सुपुत्र श्री हीरा लाल, निवासी गांव डंगाड़ी, डाकघर तारागढ़, उप-तहसील ककीरा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना—पत्र मय अन्य कागजात इस आशय से गुजारा है कि उसका सही नाम जालम सिंह है, जोकि ग्राम पंचायत तारागढ़ के नकल परिवार रजिस्टर में सही दर्ज है लेकिन राजस्व विभाग के मुहाल बैरियां, पटवार वृत्त तारागढ़, उप-तहसील ककीरा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश में गलती से जालम दर्ज है, जिसकी दुरुस्ती की जावे।

इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि प्रार्थी के नाम दुरुस्ती बारे यदि किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन अदालत अधोहस्ताक्षरी दिनांक 29-07-2025 को हाजिर आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जा करके नाम दुरुस्ती के आदेश दे दिये जाएंगे।

आज दिनांक 27-06-2025 को मेरे हस्ताक्षर व अदालत मोहर से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-
सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग,
ककीरा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।

**ब अदालत श्री अभिराय सिंह ठाकुर, तहसीलदार एवं कार्यकारी मैजिस्ट्रेट, सलूणी,
जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश**

श्री केवल कृष्ण पुत्र श्री जय किशन, निवासी गांव जैनश्री, डाकघर दिघाई, तहसील सलूणी, जिला चम्बा (हि०प्र०) वादी।

बनाम

आम जनता

प्रतिवादी।

उनवान मुकद्दमा—जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13(3) के अन्तर्गत विलम्बित जन्म/मृत्यु पंजीकरण करने वारे।

श्री केवल कृष्ण पुत्र श्री जय किशन, निवासी गांव जैनश्री, डाकघर दिघाई, तहसील सलूणी, जिला चम्बा (हि०प्र०) ने इस न्यायालय में प्रार्थना—पत्र गुजार कर निवेदन किया है कि उनकी बेटी का जन्म 28–04–2012 को गांव जैनश्री, डाकघर दिघाई, पंचायत दिघाई, तहसील सलूणी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश में हुआ था, लेकिन वह अज्ञानतावश जन्म का पंजीकरण ग्राम पंचायत दिघाई, तहसील सलूणी, जिला चम्बा के जन्म एवं मृत्यु रजिस्टर में दर्ज नहीं करवा सके। अतः ग्राम पंचायत सलूणी के जन्म एवं मृत्यु रजिस्टर में उनकी बेटी के जन्म का विलम्बित पंजीकरण करने के आदेश पारित किए जाएं।

अतः उपरोक्त जन्म पंजीकरण वारे सर्वसाधारण व आम जनता को इस राजपत्र इश्तहार व मुनादी द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त जन्म पंजीकरण वारे कोई उजर/एतराज हो तो उजरकर्ता दिनांक 16–07–2025 को प्रातः 10.00 बजे इस मुकद्दमा की पैरवी हेतु व्यक्तिगत रूप से अथवा किसी अधिकृत एजैन्ट के माध्यम से या किसी अधिवक्ता के माध्यम से इस न्यायालय में उपस्थित होकर उजर पेश कर सकता है। गैरहाजिरी की सूरत में मुताबिक प्रार्थना—पत्र जन्म पंजीकरण करने हेतु आदेश पारित कर दिये जाएंगे एवं तारीख पेशी अर्थात् 16–07–2025 के बाद कोई भी उजर/एतराज विचारणीय न होगा।

आज दिनांक 18–06–2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
तहसीलदार एवं कार्यकारी मैजिस्ट्रेट,
सलूणी, जिला चम्बा (हि०प्र०)।

**ब अदालत नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, धरवाला,
जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश**

ज्ञानो पुत्र हस, गांव जन्नी, डाकघर सामरा, उप—तहसील धरवाला, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

उनवान मुकद्दमा—दरख्वास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत।

इस कार्यालय में ज्ञानो पुत्र हस, गांव जन्नी, डाकघर सामरा, उप—तहसील धरवाला, जिला चम्बा ने प्रार्थना—पत्र देकर निवेदन किया है कि मेरा जन्म दिनांक 03–09–1964 को घर पर ही हुआ है परन्तु

अज्ञानतावश मेरी जन्म तिथि को ग्राम पंचायत गुराड़ के जन्म एवं मृत्यु रजिस्टर में आज तक पंजीकृत नहीं किया गया है इसलिए मेरी जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश ग्राम पंचायत गुराड़ को दिये जावें।

अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को भी उपरोक्त ज्ञानो पुत्र हस, गांव जन्नी, डाकघर सामरा की जन्म तिथि ग्राम पंचायत गुराड़ में दर्ज करने में किसी भी प्रकार का कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 17-07-2025 तक असालतन या वकालतन हाजिर होकर लिखित व मौखिक प्रस्तुत करें। यदि उक्त तारीख तक कोई उजर/एतराज प्रस्तुत नहीं हुआ तो यह समझा जायेगा कि प्रार्थी की जन्म तिथि ग्राम पंचायत गुराड़ में दर्ज करने हेतु कोई आपत्ति नहीं है तथा नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत गुराड़ में दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 20-06-2025 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
धरवाला, जिला चम्बा (हि० प्र०)।

**ब अदालत नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, धरवाला,
जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश**

रतनो पुत्री मैहतू राम, गांव सररैणा, डाकघर प्रीणा, उप-तहसील धरवाला, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

उनवान मुकद्दमा—दरख्बास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत।

इस कार्यालय में रतनो पुत्री मैहतू राम, गांव सररैणा, डाकघर प्रीणा, उप-तहसील धरवाला, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश ने प्रार्थना—पत्र देकर निवेदन किया है कि मेरे जन्म दिनांक 01-07-1962 को घर पर ही हुआ है, परन्तु अज्ञानतावश मेरी जन्म तिथि को ग्राम पंचायत प्रीणा के जन्म एवं मृत्यु रजिस्टर में आज तक पंजीकृत नहीं किया गया है इसलिए मेरी जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश ग्राम पंचायत प्रीणा को दिये जावें।

अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को भी उपरोक्त रतनो पुत्री मैहतू राम, गांव सररैणा, डाकघर प्रीणा की जन्म तिथि ग्राम पंचायत प्रीणा में दर्ज करने में किसी भी प्रकार का कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 17-07-2025 तक असालतन या वकालतन हाजिर होकर लिखित व मौखिक प्रस्तुत करें। यदि उक्त तारीख तक कोई उजर/एतराज प्रस्तुत नहीं हुआ तो यह समझा जायेगा कि प्रार्थिया की जन्म तिथि ग्राम पंचायत प्रीणा में दर्ज करने हेतु कोई आपत्ति नहीं है तथा नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत प्रीणा में दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 20-06-2025 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
धरवाला, जिला चम्बा (हि० प्र०)।

**ब अदालत नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, धरवाला,
जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश**

योग राज पुत्र भूर्ल, गांव साहलूई, डाकघर सुनारा, उप-तहसील धरवाला, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

उनवान मुकद्दमा—दरख्वास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत।

इस कार्यालय में योग राज पुत्र भूर्ल, गांव साहलूई, डाकघर सुनारा, उप-तहसील धरवाला, जिला चम्बा ने प्रार्थना—पत्र देकर निवेदन किया है कि मेरा जन्म दिनांक 03–05–1976 को घर पर ही हुआ है परन्तु अज्ञानतावश मेरी जन्म तिथि को ग्राम पंचायत सुनारा के जन्म एवं मृत्यु रजिस्टर में आज तक पंजीकृत नहीं किया गया है इसलिए मेरी जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश ग्राम पंचायत सुनारा को दिये जावें।

अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को भी उपरोक्त योग राज पुत्र भूर्ल, गांव साहलूई, डाकघर सुनारा की जन्म तिथि ग्राम पंचायत सुनारा में दर्ज करने में किसी भी प्रकार का कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 17–07–2025 तक असालतन या वकालतन हाजिर होकर लिखित व मौखिक प्रस्तुत करें। यदि उक्त तारीख तक कोई उजर/एतराज प्रस्तुत नहीं हुआ तो यह समझा जायेगा कि प्रार्थी की जन्म तिथि ग्राम पंचायत सुनारा में दर्ज करने हेतु कोई आपत्ति नहीं है तथा नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत सुनारा में दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 20–06–2025 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
धरवाला, जिला चम्बा (हि० प्र०)।

**ब अदालत नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, धरवाला,
जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश**

संजू पुत्र बुधि सिंह, गांव खलोटी, डाकघर खुन्देल, उप-तहसील धरवाला, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

उनवान मुकद्दमा—दरख्वास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत।

इस कार्यालय में संजू पुत्र बुधि सिंह, गांव खलोटी, डाकघर खुन्देल, उप-तहसील धरवाला, जिला चम्बा ने प्रार्थना—पत्र देकर निवेदन किया है कि मेरे लड़की नामक शिवानी का जन्म दिनांक 13–08–2022 मेरा लड़का नामक नक्ष का जन्म दिनांक 30–08–2020 को घर पर ही हुआ था परन्तु अज्ञानतावश मेरे बच्चों की जन्म तिथि को ग्राम पंचायत खुन्देल के जन्म एवं मृत्यु रजिस्टर में आज तक पंजीकृत नहीं किया गया है इसलिए मेरे बच्चों की जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश ग्राम पंचायत खुन्देल को दिये जावें।

अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को भी उपरोक्त की जन्म तिथि ग्राम पंचायत खुन्देल में दर्ज करने में किसी भी प्रकार का कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 15-07-2025 तक असालतन या वकालतन हाजिर होकर लिखित व मौखिक प्रस्तुत करें। यदि उक्त तारीख तक कोई उजर/एतराज प्रस्तुत नहीं हुआ तो यह समझा जायेगा कि प्रार्थी के बच्चों की जन्म तिथि ग्राम पंचायत खुन्देल में दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 20-06-2025 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
धरवाला, जिला चम्बा (हि० प्र०)।

**ब अदालत नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, धरवाला,
जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश**

संजय कुमार पुत्र पाधा राम, निवासी, गांव लेच, डाकघर गैहरा, उप-तहसील धरवाला, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

उनवान मुकद्दमा—दरख्खास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत।

इस कार्यालय में संजय कुमार पुत्र पाधा राम, निवासी, गांव लेच, डाकघर गैहरा, उप-तहसील धरवाला, जिला चम्बा ने प्रार्थना-पत्र देकर निवेदन किया है कि मेरा जन्म दिनांक 26-01-2002 को घर पर ही हुआ है, परन्तु अज्ञानतावश मेरी जन्म तिथि को ग्राम पंचायत लेच के जन्म एवं मृत्यु रजिस्टर में आज तक पंजीकृत नहीं किया गया है इसलिए मेरी जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश ग्राम पंचायत लेच को दिये जावें।

अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को भी उपरोक्त संजय कुमार पुत्र पाधा राम, निवासी गांव लेच, डाकघर गैहरा की जन्म तिथि ग्राम पंचायत लेच में दर्ज करने में किसी भी प्रकार का कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 17-07-2025 तक असालतन या वकालतन हाजिर होकर लिखित व मौखिक प्रस्तुत करें। यदि उक्त तारीख तक कोई उजर/एतराज प्रस्तुत नहीं हुआ तो यह समझा जायेगा कि प्रार्थी की जन्म तिथि ग्राम पंचायत लेच में दर्ज करने हेतु कोई आपत्ति नहीं है तथा नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत लेच में दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 20-06-2025 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
धरवाला, जिला चम्बा (हि० प्र०)।

**ब अदालत नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, धरवाला,
जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश**

प्रवीण कुमार पुत्र दरवारी लाल, गांव बन्दला, डाकघर कुनेड, उप-तहसील धरवाला, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

उनवान मुकद्दमा—दरख्वास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत।

इस कार्यालय में प्रवीण कुमार पुत्र दरवारी लाल, गांव बन्दला, डाकघर कुनेड, उप-तहसील धरवाला, जिला चम्बा ने प्रार्थना-पत्र देकर निवेदन किया है कि मेरा लड़का नामक अनमोल का जन्म दिनांक 07-09-2011 को घर पर ही हुआ है, परन्तु अज्ञानतावश मेरे लड़के की जन्म तिथि को ग्राम पंचायत कुनेड के जन्म एवं मृत्यु रजिस्टर में आज तक पंजीकृत नहीं किया गया है इसलिए मेरे लड़के की जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश ग्राम पंचायत कुनेड को दिये जावें।

अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को भी उपरोक्त अनमोल पुत्र प्रवीण कुमार की जन्म तिथि ग्राम पंचायत कुनेड में दर्ज करने में किसी भी प्रकार का कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 17-07-2025 तक असालतन या वकालतन हाजिर होकर लिखित व मौखिक प्रस्तुत करें। यदि उक्त तारीख तक कोई उजर/एतराज प्रस्तुत नहीं हुआ तो यह समझा जायेगा कि प्रार्थी के पुत्र की जन्म तिथि ग्राम पंचायत कुनेड में दर्ज करने हेतु कोई आपत्ति नहीं है तथा नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत कुनेड में दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 20-06-2025 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
धरवाला, जिला चम्बा (हि० प्र०)।

**ब अदालत नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, धरवाला,
जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश**

अमर नाथ पुत्र शंकर, गांव भटवाडा, डाकघर राडी, उप-तहसील धरवाला, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

उनवान मुकद्दमा—दरख्वास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत।

इस कार्यालय में अमर नाथ पुत्र शंकर, गांव भटवाडा, डाकघर राडी, उप-तहसील धरवाला, जिला चम्बा ने प्रार्थना-पत्र देकर निवेदन किया है कि मेरा जन्म दिनांक 25-03-1953 को घर पर ही हुआ था,

परन्तु अज्ञानतावश मेरी जन्म तिथि को ग्राम पंचायत राडी के जन्म एवं मृत्यु रजिस्टर में आज तक पंजीकृत नहीं किया गया है इसलिए मेरी जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश ग्राम पंचायत राडी को दिये जावें।

अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को भी उपरोक्त अमर नाथ पुत्र शंकर, गांव भटवाडा, डाकघर राडी की जन्म तिथि ग्राम पंचायत राडी में दर्ज करने में किसी भी प्रकार का कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 15-07-2025 तक असालतन या वकालतन हाजिर होकर लिखित व मौखिक प्रस्तुत करें। यदि उक्त तारीख तक कोई उजर/एतराज प्रस्तुत नहीं हुआ तो यह समझा जायेगा कि प्रार्थी की जन्म तिथि ग्राम पंचायत राडी में दर्ज करने हेतु कोई आपत्ति नहीं है तथा नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत राडी में दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 20-06-2025 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
धरवाला, जिला चम्बा (हि० प्र०)।

**ब अदालत नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, धरवाला,
जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश**

गोरखी पुत्री भोरा, गांव अमैन्था, डाकघर गैहरा, उप-तहसील धरवाला, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

उनवान मुकद्दमा—दरख्वास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत।

इस कार्यालय में गोरखी पुत्री भोरा, गांव अमैन्था, डाकघर गैहरा, उप-तहसील धरवाला, जिला चम्बा ने प्रार्थना—पत्र देकर निवेदन किया है कि मेरा जन्म दिनांक 02-05-1989 को घर पर ही हुआ है, परन्तु अज्ञानतावश मेरी जन्म तिथि को ग्राम पंचायत गैहरा के जन्म एवं मृत्यु रजिस्टर में आज तक पंजीकृत नहीं किया गया है इसलिए मेरी जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश ग्राम पंचायत गैहरा को दिये जावें।

अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को भी उपरोक्त गोरखी पुत्री भोरा, गांव अमैन्था, डाकघर गैहरा की जन्म तिथि ग्राम पंचायत गैहरा में दर्ज करने में किसी भी प्रकार का कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 17-07-2025 तक असालतन या वकालतन हाजिर होकर लिखित व मौखिक प्रस्तुत करें। यदि उक्त तारीख तक कोई उजर/एतराज प्रस्तुत नहीं हुआ तो यह समझा जायेगा कि प्रार्थिया की जन्म तिथि ग्राम पंचायत गैहरा में दर्ज करने हेतु कोई आपत्ति नहीं है तथा नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत गैहरा में दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 20-06-2025 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
धरवाला, जिला चम्बा (हि० प्र०)।

**ब अदालत नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, धरवाला,
जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश**

पूजा पुत्री चमारु, गांव कुहैड, डाकघर खुन्देल, उप-तहसील धरवाला, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

उनवान मुकद्दमा—दरख्वास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत।

इस कार्यालय में पूजा पुत्री चमारु, गांव कुहैड, डाकघर खुन्देल, उप-तहसील धरवाला, जिला चम्बा ने प्रार्थना—पत्र देकर निवेदन किया है कि मेरा जन्म दिनांक 01-07-1985 को घर पर ही हुआ है, परन्तु अज्ञानतावश मेरी जन्म तिथि को ग्राम पंचायत खुन्देल के जन्म एवं मृत्यु रजिस्टर में आज तक पंजीकृत नहीं किया गया है इसलिए मेरी जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश ग्राम पंचायत खुन्देल को दिये जावें।

अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को भी उपरोक्त पूजा पुत्री चमारु, गांव कुहैड, डाकघर खुन्देल की जन्म तिथि ग्राम पंचायत खुन्देल में दर्ज करने में किसी भी प्रकार का कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 17-07-2025 तक असालतन या वकालतन हाजिर होकर लिखित व मौखिक प्रस्तुत करें। यदि उक्त तारीख तक कोई उजर/एतराज प्रस्तुत नहीं हुआ तो यह समझा जायेगा कि प्रार्थिया की जन्म तिथि ग्राम पंचायत खुन्देल में दर्ज करने हेतु कोई आपत्ति नहीं है तथा नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत खुन्देल में दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 20-06-2025 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
धरवाला, जिला चम्बा (फिं प्र०)।

**ब अदालत नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, धरवाला,
जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश**

सोहण सिंह पुत्र महिन्द्र सिंह, गांव तूर, डाकघर ब्रेही, उप-तहसील धरवाला, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

उनवान मुकद्दमा—दरख्वास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत।

इस कार्यालय में सोहण सिंह पुत्र महिन्द्र सिंह, गांव तूर, डाकघर ब्रेही, उप-तहसील धरवाला, जिला चम्बा ने प्रार्थना—पत्र देकर निवेदन किया है कि मेरा जन्म दिनांक 23-02-1997 को घर पर ही हुआ है, परन्तु अज्ञानतावश मेरी जन्म तिथि को ग्राम पंचायत ब्रेही के जन्म एवं मृत्यु रजिस्टर में आज तक पंजीकृत नहीं किया गया है इसलिए मेरी जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश ग्राम पंचायत ब्रेही को दिये जावें।

अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को भी उपरोक्त सोहण सिंह पुत्र महिन्द्र सिंह, गांव तूर, डाकघर ब्रेही की जन्म तिथि ग्राम पंचायत ब्रेही में दर्ज करने में किसी भी प्रकार का कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 17-07-2025 तक असालतन या वकालतन हाजिर होकर लिखित व मौखिक प्रस्तुत करें। यदि उक्त तारीख तक कोई उजर/एतराज प्रस्तुत नहीं हुआ तो यह समझा जायेगा कि प्रार्थी की जन्म तिथि ग्राम पंचायत ब्रेही में दर्ज करने हेतु कोई आपत्ति नहीं है तथा नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत ब्रेही में दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 20-06-2025 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
धरवाला, जिला चम्बा (हि० प्र०)।

**ब अदालत नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, धरवाला,
जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश**

अतूल कुमार पुत्र व्यास देव, गांव गवाड, डाकघर प्रीणा, उप-तहसील धरवाला, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

उनवान मुकद्दमा—दरख्खास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत।

इस कार्यालय में अतूल कुमार पुत्र व्यास देव, गांव गवाड, डाकघर प्रीणा, उप-तहसील धरवाला, जिला चम्बा ने प्रार्थना—पत्र देकर निवेदन किया है कि मेरी लड़की नामक रियांशी का जन्म दिनांक 01-02-2022 व लड़के नामक रियांश का जन्म दिनांक 13-07-2020 को घर पर ही हुआ है, परन्तु अज्ञानतावश मेरे बच्चों की जन्म तिथि को ग्राम पंचायत प्रीणा के जन्म एवं मृत्यु रजिस्टर में आज तक पंजीकृत नहीं किया गया है इसलिए मेरे बच्चों की जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश ग्राम पंचायत प्रीणा को दिये जावें।

अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को भी उपरोक्त की जन्म तिथि ग्राम पंचायत प्रीणा में दर्ज करने में किसी भी प्रकार का कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 17-07-2025 तक असालतन या वकालतन हाजिर होकर लिखित व मौखिक प्रस्तुत करें। यदि उक्त तारीख तक कोई उजर/एतराज प्रस्तुत नहीं हुआ तो यह समझा जायेगा कि प्रार्थी के बच्चों की जन्म तिथि ग्राम पंचायत प्रीणा में दर्ज करने हेतु कोई आपत्ति नहीं है तथा नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत प्रीणा में दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 20-06-2025 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
धरवाला, जिला चम्बा (हि० प्र०)।

**ब अदालत नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, धरवाला,
जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश**

नाहपो पुत्र नानक चन्द, निवासी गांव घरोटनू डाकघर कूर, उप-तहसील धरवाला, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

उनवान मुकद्दमा—दरख्वास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत।

इस कार्यालय में नाहपो पुत्र व्यास नानक चन्द, निवासी गांव घरोटनू डाकघर कूर, उप-तहसील धरवाला, जिला चम्बा ने प्रार्थना—पत्र देकर निवेदन किया है कि मेरी लड़की नामक पूजा देवी का जन्म दिनांक 11-11-2015 व लड़की नामक अंजू देवी का जन्म दिनांक 05-09-2017 को घर पर ही हुआ है, परन्तु अज्ञानतावश मेरे बच्चों की जन्म तिथि को ग्राम पंचायत कूर के जन्म एवं मृत्यु रजिस्टर में आज तक पंजीकृत नहीं किया गया है इसलिए मेरे बच्चों की जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश ग्राम पंचायत कूर को दिये जावें।

अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को भी उपरोक्त की जन्म तिथि ग्राम पंचायत कूर में दर्ज करने में किसी भी प्रकार का कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 17-07-2025 तक असालतन या वकालतन हाजिर होकर लिखित व मौखिक प्रस्तुत करें। यदि उक्त तारीख तक कोई उजर/एतराज प्रस्तुत नहीं हुआ तो यह समझा जायेगा कि प्रार्थी के बच्चों की जन्म तिथि ग्राम पंचायत कूर में दर्ज करने हेतु कोई आपत्ति नहीं है तथा नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत कूर में दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 20-06-2025 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
धरवाला, जिला चम्बा (हि० प्र०)।

**ब अदालत नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, धरवाला,
जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश**

याकुब पुत्र लतीफ, गांव बाग, डाकघर बकाणी, उप-तहसील धरवाला, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

उनवान मुकद्दमा—दरख्वास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत।

इस कार्यालय में याकुब पुत्र लतीफ, गांव बाग, डाकघर बकाणी, उप-तहसील धरवाला, जिला चम्बा ने प्रार्थना—पत्र देकर निवेदन किया है कि मेरा जन्म दिनांक 10-02-1983 को घर पर ही हुआ है, परन्तु

अज्ञानतावश मेरी जन्म तिथि को ग्राम पंचायत बकाण के जन्म एवं मृत्यु रजिस्टर में आज तक पंजीकृत नहीं किया गया है इसलिए मेरी जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश ग्राम पंचायत बकाण को दिये जावें।

अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को भी उपरोक्त याकुब पुत्र लतीफ, गांव बाग, डाकघर बकाणी की जन्म तिथि ग्राम पंचायत बकाण में दर्ज करने में किसी भी प्रकार का कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 17-07-2025 तक असालतन या वकालतन हाजिर होकर लिखित व मौखिक प्रस्तुत करें। यदि उक्त तारीख तक कोई उजर/एतराज प्रस्तुत नहीं हुआ तो यह समझा जायेगा कि प्रार्थी की जन्म तिथि ग्राम पंचायत बकाण में दर्ज करने हेतु कोई आपत्ति नहीं है तथा नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत बकाण में दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 20-06-2025 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
धरवाला, जिला चम्बा (हि० प्र०)।

**ब अदालत नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, धरवाला,
जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश**

अंकुर पुत्र प्रीतम, गांव लेच, डाकघर गैहरा, उप-तहसील धरवाला, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

उनवान मुकद्दमा—दरख्वास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत।

इस कार्यालय में अंकुर पुत्र प्रीतम, गांव लेच, डाकघर गैहरा, उप-तहसील धरवाला, जिला चम्बा ने प्रार्थना-पत्र देकर निवेदन किया है कि मेरा जन्म दिनांक 19-02-2002 को घर पर ही हुआ है, परन्तु अज्ञानतावश मेरी जन्म तिथि को ग्राम पंचायत लेच के जन्म एवं मृत्यु रजिस्टर में आज तक पंजीकृत नहीं किया गया है इसलिए मेरी जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश ग्राम पंचायत लेच को दिये जावें।

अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को भी उपरोक्त अंकुर पुत्र प्रीतम, गांव लेच, डाकघर गैहरा की जन्म तिथि ग्राम पंचायत लेच में दर्ज करने में किसी भी प्रकार का कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 17-07-2025 तक असालतन या वकालतन हाजिर होकर लिखित व मौखिक प्रस्तुत करें। यदि उक्त तारीख तक कोई उजर/एतराज प्रस्तुत नहीं हुआ तो यह समझा जायेगा कि प्रार्थी की जन्म तिथि ग्राम पंचायत लेच में दर्ज करने हेतु कोई आपत्ति नहीं है तथा नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत लेच में दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 20-06-2025 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
धरवाला, जिला चम्बा (हि० प्र०)।

**ब अदालत नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, धरवाला,
जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश**

रेवनो पुत्री चन्द, निवासी गांव घालू डाकघर गैहरा, उप-तहसील धरवाला, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

उनवान मुकद्दमा—दरख्वास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत।

इस कार्यालय में रेवनो पुत्री चन्द, निवासी गांव घालू डाकघर गैहरा, उप-तहसील धरवाला, जिला चम्बा ने प्रार्थना-पत्र देकर निवेदन किया है कि मेरा जन्म दिनांक 05-12-1966 को घर पर ही हुआ है, परन्तु अज्ञानतावश मेरी जन्म तिथि को ग्राम पंचायत गैहरा के जन्म एवं मृत्यु रजिस्टर में आज तक पंजीकृत नहीं किया गया है इसलिए मेरी जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश ग्राम पंचायत गैहरा को दिये जावें।

अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को भी उपरोक्त रेवनो पुत्री चन्द, निवासी गांव घालू डाकघर गैहरा की जन्म तिथि ग्राम पंचायत गैहरा में दर्ज करने में किसी भी प्रकार का कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 17-07-2025 तक असालतन या वकालतन हाजिर होकर लिखित व मौखिक प्रस्तुत करें। यदि उक्त तारीख तक कोई उजर/एतराज प्रस्तुत नहीं हुआ तो यह समझा जायेगा कि प्रार्थिया की जन्म तिथि ग्राम पंचायत गैहरा में दर्ज करने हेतु कोई आपत्ति नहीं है तथा नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत गैहरा में दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 20-06-2025 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
धरवाला, जिला चम्बा (हि० प्र०)।

**ब अदालत नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, धरवाला,
जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश**

हलीमा पत्नी रफी मुहम्मद, गांव दुर्घेड, डाकघर बकाण, उप-तहसील धरवाला, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

उनवान मुकद्दमा—दरख्वास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत।

इस कार्यालय में हलीमा पत्नी रफी मुहम्मद, गांव दुर्घेड, डाकघर बकाण, उप-तहसील धरवाला, जिला चम्बा ने प्रार्थना-पत्र देकर निवेदन किया है कि मेरी लड़की नामक मुशकीन मुहम्मद का जन्म दिनांक 01-10-2019 को घर पर ही हुआ है, परन्तु अज्ञानतावश मेरी लड़की की जन्म तिथि को ग्राम पंचायत दाडवीं

के जन्म एवं मृत्यु रजिस्टर में आज तक पंजीकृत नहीं किया गया है इसलिए मेरी लड़की की जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश ग्राम पंचायत दाड़वीं को दिये जावें।

अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को भी उपरोक्त मुशकीन मुहम्मद पुत्री रफी मुहम्मद, गांव दुर्घेड़, डाकघर बकाण की जन्म तिथि ग्राम पंचायत दाड़वीं में दर्ज करने में किसी भी प्रकार का कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 17-07-2025 तक असालतन या वकालतन हाजिर होकर लिखित व मौखिक प्रस्तुत करें। यदि उक्त तारीख तक कोई उजर/एतराज प्रस्तुत नहीं हुआ तो यह समझा जायेगा कि प्रार्थिया की लड़की की जन्म तिथि ग्राम पंचायत दाड़वीं में दर्ज करने हेतु कोई आपत्ति नहीं है तथा नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत दाड़वीं में दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 20-06-2025 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
धरवाला, जिला चम्बा (हि० प्र०)।

**ब अदालत नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, धरवाला,
जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश**

धनो देवी पुत्री बिन्द, गांव कलवारा, डाकघर वकाण, उप-तहसील धरवाला, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

उनवान मुकद्दमा—दरख्खास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत।

इस कार्यालय में धनो देवी पुत्री बिन्द, गांव कलवारा, डाकघर वकाण, उप-तहसील धरवाला, जिला चम्बा ने प्रार्थना—पत्र देकर निवेदन किया है कि मेरा जन्म दिनांक 01-07-1964 को घर पर ही हुआ है, परन्तु अज्ञानतावश मेरी जन्म तिथि को ग्राम पंचायत बकाण के जन्म एवं मृत्यु रजिस्टर में आज तक पंजीकृत नहीं किया गया है इसलिए मेरी जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश ग्राम पंचायत बकाण को दिये जावें।

अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को भी उपरोक्त धनो देवी पुत्री बिन्द, गांव कलवारा, डाकघर वकाण की जन्म तिथि ग्राम पंचायत बकाण में दर्ज करने में किसी भी प्रकार का कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 17-07-2025 तक असालतन या वकालतन हाजिर होकर लिखित व मौखिक प्रस्तुत करें। यदि उक्त तारीख तक कोई उजर/एतराज प्रस्तुत नहीं हुआ तो यह समझा जायेगा कि प्रार्थिया की जन्म तिथि ग्राम पंचायत बकाण में दर्ज करने हेतु कोई आपत्ति नहीं है तथा नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत बकाण में दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 20-06-2025 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
धरवाला, जिला चम्बा (हि० प्र०)।

**ब अदालत नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, धरवाला,
जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश**

सरनो पुत्र सुफल, गांव गुंआ, डाकघर सुनारा, उप-तहसील धरवाला, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

उनवान मुकद्दमा—दरख्वास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत।

इस कार्यालय में सरनो पुत्र सुफल, गांव गुंआ, डाकघर सुनारा, उप-तहसील धरवाला, जिला चम्बा ने प्रार्थना—पत्र देकर निवेदन किया है कि मेरी लड़की नामक शीतल का जन्म दिनांक 10-10-2011 को घर पर ही हुआ है, परन्तु अज्ञानतावश मेरी लड़की की जन्म तिथि को ग्राम पंचायत सुनारा के जन्म एवं मृत्यु रजिस्टर में आज तक पंजीकृत नहीं किया गया है इसलिए मेरी लड़की की जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश ग्राम पंचायत सुनारा को दिये जावें।

अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को भी उपरोक्त शीतल पुत्री सरनो की जन्म तिथि ग्राम पंचायत सुनारा में दर्ज करने में किसी भी प्रकार का कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 17-07-2025 तक असालतन या वकालतन हाजिर होकर लिखित व मौखिक प्रस्तुत करें। यदि उक्त तारीख तक कोई उजर/एतराज प्रस्तुत नहीं हुआ तो यह समझा जायेगा कि प्रार्थी की लड़की की जन्म तिथि ग्राम पंचायत सुनारा में दर्ज करने हेतु कोई आपत्ति नहीं है तथा नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत सुनारा में दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 20-06-2025 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
धरवाला, जिला चम्बा (हि० प्र०)।

**ब अदालत नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, धरवाला,
जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।**

रेखा पत्नी काकू, गांव थल्ली, डाकघर सामरा, उप-तहसील धरवाला, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

उनवान मुकद्दमा—दरख्वास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत।

इस कार्यालय में रेखा पत्नी काकू, गांव थल्ली, डाकघर सामरा, उप-तहसील धरवाला, जिला चम्बा ने प्रार्थना—पत्र देकर निवेदन किया है कि मेरा लड़का नामक सन्नी का जन्म दिनांक 05-09-2009 को घर पर ही हुआ है, परन्तु अज्ञानतावश मेरे लड़के की जन्म तिथि को ग्राम पंचायत डूलाडा के जन्म एवं मृत्यु रजिस्टर में आज तक पंजीकृत नहीं किया गया है इसलिए मेरे लड़के की जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश ग्राम पंचायत डूलाडा को दिये जावें।

अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को भी उपरोक्त सन्नी पुत्र काकू की जन्म तिथि ग्राम पंचायत डूलाडा में दर्ज करने में किसी भी प्रकार का कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 17-07-2025 तक असालतन या वकालतन हाजिर होकर लिखित व मौखिक प्रस्तुत करें। यदि उक्त तारीख तक कोई उजर/एतराज प्रस्तुत नहीं हुआ तो यह समझा जायेगा कि प्रार्थिया के लड़के की जन्म तिथि ग्राम पंचायत डूलाडा में दर्ज करने हेतु कोई आपत्ति नहीं है तथा नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत डूलाडा में दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 20-06-2025 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
धरवाला, जिला चम्बा (हि० प्र०)।

**ब अदालत नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, धरवाला,
जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश**

जर्म सिंह पुत्र गुरिया, गांव बन्दला, डाकघर कुनेड, उप-तहसील धरवाला, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

उनवान मुकदमा—दरख्खास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत।

इस कार्यालय में जर्म सिंह पुत्र गुरिया, गांव बन्दला, डाकघर कुनेड, उप-तहसील धरवाला, जिला चम्बा ने प्रार्थना—पत्र देकर निवेदन किया है कि मेरा लड़का नामक अमन कुमार का जन्म दिनांक 13-10-2009 व अभिषेक का जन्म दिनांक 02-05-2011 को घर पर ही हुआ है, परन्तु अज्ञानतावश मेरे बच्चों की जन्म तिथि को ग्राम पंचायत कुनेड के जन्म एवं मृत्यु रजिस्टर में आज तक पंजीकृत नहीं किया गया है इसलिए मेरे बच्चों की जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश ग्राम पंचायत कुनेड को दिये जावें।

अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को भी उपरोक्त की जन्म तिथि ग्राम पंचायत कुनेड में दर्ज करने में किसी भी प्रकार का कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 17-07-2025 तक असालतन या वकालतन हाजिर होकर लिखित व मौखिक प्रस्तुत करें। यदि उक्त तारीख तक कोई उजर/एतराज प्रस्तुत नहीं हुआ तो यह समझा जायेगा कि प्रार्थी के बच्चों की जन्म तिथि ग्राम पंचायत कुनेड में दर्ज करने हेतु कोई आपत्ति नहीं है तथा नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत कुनेड में दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 20-06-2025 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
धरवाला, जिला चम्बा (हि० प्र०)।

**ब अदालत नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, धरवाला,
जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश**

दीप सिंह पुत्र सैली राम, गांव ज्योटी, डाकघर किलोड, उप-तहसील धरवाला, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

उनवान मुकद्दमा—दरख्वास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत।

इस कार्यालय में दीप सिंह पुत्र सैली राम, गांव ज्योटी, डाकघर किलोड, उप-तहसील धरवाला, जिला चम्बा ने प्रार्थना—पत्र देकर निवेदन किया है कि मेरे लड़के नामक ध्रुव ठाकुर का जन्म दिनांक 04-04-2021 व लड़की नामक रिधिमा ठाकुर का जन्म दिनांक 26-09-2022 को घर पर ही हुआ है, परन्तु अज्ञानतावश मेरे बच्चों की जन्म तिथि को ग्राम पंचायत कुनेड के जन्म एवं मृत्यु रजिस्टर में आज तक पंजीकृत नहीं किया गया है इसलिए मेरे बच्चों की जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश ग्राम पंचायत कुनेड को दिये जावें।

अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को भी उपरोक्त की जन्म तिथि ग्राम पंचायत कुनेड में दर्ज करने में किसी भी प्रकार का कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 17-07-2025 तक असालतन या वकालतन हाजिर होकर लिखित व मौखिक प्रस्तुत करें। यदि उक्त तारीख तक कोई उजर/एतराज प्रस्तुत नहीं हुआ तो यह समझा जायेगा कि प्रार्थी के बच्चों की जन्म तिथि ग्राम पंचायत कुनेड में दर्ज करने हेतु कोई आपत्ति नहीं है तथा नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत कुनेड में दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 20-06-2025 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
धरवाला, जिला चम्बा (हि० प्र०)।

**ब अदालत नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, धरवाला,
जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश**

ममता देवी पुत्री निधिया राम, गांव भताल, डाकघर ब्रेही, उप-तहसील धरवाला, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

उनवान मुकद्दमा—दरख्वास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत।

इस कार्यालय में ममता देवी पुत्री निधिया राम, गांव भताल, डाकघर ब्रेही, उप-तहसील धरवाला, जिला चम्बा ने प्रार्थना—पत्र देकर निवेदन किया है कि मेरा जन्म दिनांक 28-10-1987 को घर पर ही हुआ है, परन्तु

अज्ञानतावश मेरी जन्म तिथि को ग्राम पंचायत ब्रेही के जन्म एवं मृत्यु रजिस्टर में आज तक पंजीकृत नहीं किया गया है इसलिए मेरी जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश ग्राम पंचायत ब्रेही को दिये जावें।

अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को भी उपरोक्त समता देवी पुत्री निधिया राम, गांव भताल, डाकघर ब्रेही की जन्म तिथि ग्राम पंचायत ब्रेही में दर्ज करने में किसी भी प्रकार का कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 17-07-2025 तक असालतन या वकालतन हाजिर होकर लिखित व मौखिक प्रस्तुत करें। यदि उक्त तारीख तक कोई उजर/एतराज प्रस्तुत नहीं हुआ तो यह समझा जायेगा कि प्रार्थिया की जन्म तिथि ग्राम पंचायत ब्रेही में दर्ज करने हेतु कोई आपत्ति नहीं है तथा नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत ब्रेही में दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 20-06-2025 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
धरवाला, जिला चम्बा (हिं 0 प्र०)।

**ब अदालत नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, धरवाला,
जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश**

सुषमा देवी पुत्री टेक चन्द, निवासी गांव डलपा, डाकघर बकाणी, उप-तहसील धरवाला, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

उनवान मुकद्दमा—दरख्वास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत।

इस कार्यालय में सुषमा देवी पुत्री टेक चन्द, निवासी गांव डलपा, डाकघर बकाणी, उप-तहसील धरवाला, जिला चम्बा ने प्रार्थना—पत्र देकर निवेदन किया है कि मेरा जन्म दिनांक 20-04-1991 को घर पर ही हुआ है, परन्तु अज्ञानतावश मेरी जन्म तिथि को ग्राम पंचायत धिमला के जन्म एवं मृत्यु रजिस्टर में आज तक पंजीकृत नहीं किया गया है इसलिए मेरी जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश ग्राम पंचायत धिमला को दिये जावें।

अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को भी उपरोक्त सुषमा देवी पुत्री टेक चन्द, निवासी गांव डलपा, डाकघर बकाणी की जन्म तिथि ग्राम पंचायत धिमला में दर्ज करने में किसी भी प्रकार का कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 15-07-2025 तक असालतन या वकालतन हाजिर होकर लिखित व मौखिक प्रस्तुत करें। यदि उक्त तारीख तक कोई उजर/एतराज प्रस्तुत नहीं हुआ तो यह समझा जायेगा कि प्रार्थिया की जन्म तिथि ग्राम पंचायत धिमला में दर्ज करने हेतु कोई आपत्ति नहीं है तथा नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत धिमला में दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 20-06-2025 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
धरवाला, जिला चम्बा (हिं 0 प्र०)।

**ब अदालत नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, धरवाला,
जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश**

अंजली देवी पुत्री अमरु, गांव खलौती, डाकघर खुन्देल, उप-तहसील धरवाला, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

उनवान मुकद्दमा—दरख्वास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत।

इस कार्यालय में अंजली देवी पुत्री अमरु, गांव खलौती, डाकघर खुन्देल, उप-तहसील धरवाला, जिला चम्बा ने प्रार्थना-पत्र देकर निवेदन किया है कि मेरा जन्म दिनांक 02-03-2005 को घर पर ही हुआ है, परन्तु अज्ञानतावश मेरी जन्म तिथि को ग्राम पंचायत बलोठ के जन्म एवं मृत्यु रजिस्टर में आज तक पंजीकृत नहीं किया गया है इसलिए मेरी जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश ग्राम पंचायत बलोठ को दिये जावें।

अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को भी उपरोक्त अंजली देवी पुत्री अमरु, गांव खलौती, डाकघर खुन्देल की जन्म तिथि ग्राम पंचायत बलोठ में दर्ज करने में किसी भी प्रकार का कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 17-07-2025 तक असालतन या वकालतन हाजिर होकर लिखित व मौखिक प्रस्तुत करें। यदि उक्त तारीख तक कोई उजर/एतराज प्रस्तुत नहीं हुआ तो यह समझा जायेगा कि प्रार्थिया की जन्म तिथि ग्राम पंचायत बलोठ में दर्ज करने हेतु कोई आपत्ति नहीं है तथा नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत बलोठ में दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 20-06-2025 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
धरवाला, जिला चम्बा (हि० प्र०)।

**ब अदालत नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, धरवाला,
जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश**

सरनो पुत्र दास, गांव दरभेटा, डाकघर बकाणी, उप-तहसील धरवाला, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

उनवान मुकद्दमा—दरख्वास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत।

इस कार्यालय में सरनो पुत्र दास, गांव दरभेटा, डाकघर बकाणी, उप-तहसील धरवाला, जिला चम्बा ने प्रार्थना-पत्र देकर निवेदन किया है कि मेरा जन्म दिनांक 12-06-1961 को घर पर ही हुआ है, परन्तु अज्ञानतावश मेरी जन्म तिथि को ग्राम पंचायत बकाण के जन्म एवं मृत्यु रजिस्टर में आज तक पंजीकृत नहीं किया गया है इसलिए मेरी जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश ग्राम पंचायत बकाण को दिये जावें।

अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को भी उपरोक्त सरनो पुत्र दास, गांव दरभेटा, डाकघर बकाणी की जन्म तिथि ग्राम पंचायत बकाण में दर्ज करने में किसी भी प्रकार का कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 17-07-2025 तक असालतन या वकालतन हाजिर होकर लिखित व मौखिक प्रस्तुत करें। यदि उक्त तारीख तक कोई उजर/एतराज प्रस्तुत नहीं हुआ तो यह समझा जायेगा कि प्रार्थी की जन्म तिथि ग्राम पंचायत बकाण में दर्ज करने हेतु कोई आपत्ति नहीं है तथा नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत बकाण में दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 20-06-2025 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
धरवाला, जिला चम्बा (हि० प्र०)।

**ब अदालत नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, धरवाला,
जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश**

भीन्दरो पुत्र ज्ञान चन्द, निवासी गांव बाड़ा, डाकघर दाडवीं, उप-तहसील धरवाला, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

उनवान मुकद्दमा—दरख्खास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत।

इस कार्यालय में भीन्दरो पुत्र ज्ञान चन्द, निवासी गांव बाड़ा, डाकघर दाडवीं, उप-तहसील धरवाला, जिला चम्बा ने प्रार्थना—पत्र देकर निवेदन किया है कि मेरा जन्म दिनांक 16-02-1965 को घर पर ही हुआ है, परन्तु अज्ञानतावश मेरी जन्म तिथि को ग्राम पंचायत दाडवीं के जन्म एवं मृत्यु रजिस्टर में आज तक पंजीकृत नहीं किया गया है इसलिए मेरी जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश ग्राम पंचायत दाडवीं को दिये जावें।

अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को भी उपरोक्त भीन्दरो पुत्र ज्ञान चन्द, निवासी गांव बाड़ा, डाकघर दाडवीं की जन्म तिथि ग्राम पंचायत दाडवीं में दर्ज करने में किसी भी प्रकार का कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 17-07-2025 तक असालतन या वकालतन हाजिर होकर लिखित व मौखिक प्रस्तुत करें। यदि उक्त तारीख तक कोई उजर/एतराज प्रस्तुत नहीं हुआ तो यह समझा जायेगा कि प्रार्थी की जन्म तिथि ग्राम पंचायत दाडवीं में दर्ज करने हेतु कोई आपत्ति नहीं है तथा नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत दाडवीं में दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 20-06-2025 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
धरवाला, जिला चम्बा (हि० प्र०)।

ब अदालत श्री अभिराय सिंह ठाकुर, तहसीलदार एवं कार्यकारी मैजिस्ट्रेट, सलूणी,
जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

श्रीमती सीता पुत्री श्री किष्ण, निवासी गांव पुन्ना, डाकघर डांड, तहसील सलूणी, जिला चम्बा (हि०प्र०)
वादिया ।

बनाम

आम जनता

प्रतिवादी ।

उनवान मुकद्दमा—जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13(3) के अन्तर्गत विलम्बित जन्म/मृत्यु
पंजीकरण करने वारे ।

श्रीमती सीता पुत्री श्री किष्ण, निवासी गांव पुन्ना, डाकघर डांड, तहसील सलूणी, जिला चम्बा (हि०प्र०)
ने इस न्यायालय में प्रार्थना—पत्र गुजार कर निवेदन किया है कि उसका जन्म 01—07—1975 को गांव पुन्ना,
ग्राम पंचायत डांड, तहसील सलूणी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश में हुआ था, लेकिन वह अज्ञानतावश अपने
जन्म का पंजीकरण ग्राम पंचायत डांड, तहसील सलूणी, जिला चम्बा के जन्म एवं मृत्यु रजिस्टर में दर्ज नहीं
करवा सकी है। अतः ग्राम पंचायत डांड के जन्म एवं मृत्यु रजिस्टर में उनके जन्म का विलम्बित पंजीकरण
करने के आदेश पारित किए जाएं ।

अतः उपरोक्त जन्म पंजीकरण वारे सर्वसाधारण व आम जनता को इस राजपत्र इश्तहार व मुनादी
द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त जन्म पंजीकरण वारे कोई उजर/एतराज हो तो
उजरकर्ता दिनांक 16—07—2025 को प्रातः 10.00 बजे इस मुकद्दमा की पैरवी हेतु व्यक्तिगत रूप से अथवा
किसी अधिकृत एजैन्ट के माध्यम से या किसी अधिवक्ता के माध्यम से इस न्यायालय में उपस्थित होकर उजर
पेश कर सकता है। गैरहजिरी की सूरत में मुताबिक प्रार्थना—पत्र जन्म पंजीकरण करने हेतु आदेश पारित कर
दिये जाएंगे एवं तारीख पेशी अर्थात् 16—07—2025 के बाद कोई भी उजर/एतराज विचारणीय न होगा ।

आज दिनांक 18—06—2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय द्वारा जारी किया गया ।

मोहर ।

हस्ताक्षरित/—
तहसीलदार एवं कार्यकारी मैजिस्ट्रेट,
सलूणी, जिला चम्बा (हि०प्र०) ।

ब अदालत श्री अभिराय सिंह ठाकुर, तहसीलदार एवं कार्यकारी मैजिस्ट्रेट, सलूणी,
जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

श्री विनोद कुमार पुत्र श्री भीलो राम, निवासी गांव शाला, परगना मंजीर, तहसील सलूणी, जिला चम्बा
(हि०प्र०) वादी ।

बनाम

आम जनता

प्रतिवादी ।

उनवान मुकद्दमा—जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13(3) के अन्तर्गत विलम्बित जन्म/मृत्यु
पंजीकरण करने वारे ।

श्री विनोद कुमार पुत्र श्री भीलो राम, निवासी गांव शाला, परगना मंजीर, तहसील सलूणी, जिला चम्बा (हि०प्र०) ने इस न्यायालय में प्रार्थना—पत्र गुजार कर निवेदन किया है कि उनकी माता जिनका नाम मालती है जिनकी मृत्यु दिनांक 31-03-1999 को गांव शाला, ग्राम पंचायत दिघाई, तहसील सलूणी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश में हुई थी, लेकिन अज्ञानतावश वे अपनी माताकी मृत्यु का पंजीकरण ग्राम पंचायत दिघाई, तहसील सलूणी, जिला चम्बा के जन्म एवं मृत्यु रजिस्टर में दर्ज नहीं करवा सके। अतः ग्राम पंचायत दिघाई के जन्म एवं मृत्यु रजिस्टर में मेरी माता की मृत्यु का विलम्बित पंजीकरण करने के आदेश पारित किए जाएं।

अतः उपरोक्त मृत्यु पंजीकरण बारे सर्वसाधारण व आम जनता को इस राजपत्र इश्तहार व मुनादी द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त मृत्यु पंजीकरण बारे कोई उजर/एतराज हो तो उजरकर्ता दिनांक 16-07-2025 को प्रातः 10.00 बजे इस मुकदमा की पैरवी हेतु व्यक्तिगत रूप से अथवा किसी अधिकृत एजेन्ट के माध्यम से या किसी अधिवक्ता के माध्यम से इस न्यायालय में उपस्थित होकर उजर पेश कर सकता है। गैरहाजिरी की सूरत में मुताबिक प्रार्थना—पत्र मृत्यु पंजीकरण करने हेतु आदेश पारित कर दिये जाएंगे एवं तारीख पेशी अर्थात् 16-07-2025 के बाद कोई भी उजर/एतराज विचारणीय न होगा।

आज दिनांक 18-06-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
तहसीलदार एवं कार्यकारी मैजिस्ट्रेट,
सलूणी, जिला चम्बा (हि०प्र०)।

ब अदालत श्री अभिराय सिंह ठाकुर, तहसीलदार एवं कार्यकारी मैजिस्ट्रेट, सलूणी,
जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

श्री विनोद कुमार पुत्र श्री भीलो राम, निवासी गांव शाला, परगना मंजीर, तहसील सलूणी, जिला चम्बा (हि०प्र०)

बनाम

आम जनता

प्रतिवादी।

उनवान मुकदमा—जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13(3) के अन्तर्गत विलम्बित जन्म/मृत्यु पंजीकरण करने बारे।

श्री विनोद कुमार पुत्र श्री भीलो राम, निवासी गांव शाला, परगना मंजीर, तहसील सलूणी, जिला चम्बा (हि०प्र०) ने इस न्यायालय में प्रार्थना—पत्र गुजार कर निवेदन किया है कि उनके पिता का नाम भीलो राम है जिनकी मृत्यु दिनांक 10-02-2001 को गांव शाला, ग्राम पंचायत दिघाई, तहसील सलूणी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश में हुई थी, लेकिन अज्ञानतावश वे अपने पिता की मृत्यु का पंजीकरण ग्राम पंचायत दिघाई, तहसील सलूणी, जिला चम्बा के जन्म एवं मृत्यु रजिस्टर में दर्ज नहीं करवा सके। अतः ग्राम पंचायत दिघाई के जन्म एवं मृत्यु रजिस्टर में अपने की मृत्यु का विलम्बित पंजीकरण करने के आदेश पारित किए जाएं।

अतः उपरोक्त मृत्यु पंजीकरण बारे सर्वसाधारण व आम जनता को इस राजपत्र इश्तहार व मुनादी द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त मृत्यु पंजीकरण बारे कोई उजर/एतराज हो तो उजरकर्ता दिनांक 16-07-2025 को प्रातः 10.00 बजे इस मुकदमा की पैरवी हेतु व्यक्तिगत रूप से अथवा किसी अधिकृत एजेन्ट के माध्यम से या किसी अधिवक्ता के माध्यम से इस न्यायालय में उपस्थित होकर उजर पेश कर सकता है। गैरहाजिरी की सूरत में मुताबिक प्रार्थना—पत्र मृत्यु पंजीकरण करने हेतु आदेश पारित कर दिये जाएंगे एवं तारीख पेशी अर्थात् 16-07-2025 के बाद कोई भी उजर/एतराज विचारणीय न होगा।

आज दिनांक 18-06-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
तहसीलदार एवं कार्यकारी मैजिस्ट्रेट,
सलूणी, जिला चम्बा (हि0प्र0)।

**ब अदालत श्री अभिराय सिंह ठाकुर, तहसीलदार एवं कार्यकारी मैजिस्ट्रेट, सलूणी,
जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश**

श्री शिव कुमार पुत्र श्री पौरखी राम, निवासी गांव सरार, डाकघर लिंगा, तहसील सलूणी, जिला चम्बा (हि0प्र0) वादी।

बनाम

आम जनता

प्रतिवादी।

उनवान मुकद्दमा—जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13(3) के अन्तर्गत विलम्बित जन्म/मृत्यु पंजीकरण करने वारे।

श्री शिव कुमार पुत्र श्री पौरखी राम, निवासी गांव सरार, डाकघर लिंगा, तहसील सलूणी, जिला चम्बा (हि0प्र0) ने इस न्यायालय में प्रार्थना—पत्र गुजार कर निवेदन किया है कि उनकी बेटी का जन्म दिनांक 28-04-2012 को गांव जैनश्री, डाकघर दिघाई, पंचायत दिघाई, तहसील सलूणी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश में हुआ था, लेकिन अज्ञानतावश वे जन्म का पंजीकरण ग्राम पंचायत सियुला, तहसील सलूणी, जिला चम्बा के जन्म एवं मृत्यु रजिस्टर में दर्ज नहीं करवा सके। अतः ग्राम पंचायत सियुला के जन्म एवं मृत्यु रजिस्टर में उनकी बेटी के जन्म का विलम्बित पंजीकरण करने के आदेश पारित किए जाएं।

अतः उपरोक्त जन्म पंजीकरण वारे सर्वसाधारण व आम जनता को इस राजपत्र इश्तहार व मुनादी द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त जन्म पंजीकरण वारे कोई उजर/एतराज हो तो उजरकर्ता दिनांक 16-07-2025 को प्रातः 10.00 बजे इस मुकद्दमा की पैरवी हेतु व्यक्तिगत रूप से अथवा किसी अधिकृत एजेन्ट के माध्यम से या किसी अधिवक्ता के माध्यम से इस न्यायालय में उपस्थित होकर उजर पेश कर सकता है। गैरहाजिरी की सूरत में मुताबिक प्रार्थना—पत्र जन्म पंजीकरण करने हेतु आदेश पारित कर दिये जाएंगे एवं तारीख पेशी अर्थात् 16-07-2025 के बाद कोई भी उजर/एतराज विचारणीय न होगा।

आज दिनांक 18-06-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
तहसीलदार एवं कार्यकारी मैजिस्ट्रेट,
सलूणी, जिला चम्बा (हि0प्र0)।

**ब अदालत नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप—तहसील पुखरी,
जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश**

सविता कुमारी पुत्री श्री कंठ, गांव व डाकघर कोटी, उप—तहसील पुखरी, जिला चम्बा (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता एवं ग्राम पंचायत प्राहनवीं, विकास खण्ड चम्बा

प्रतिवादी ।

विषय.—जन्म तिथि प्रविष्ट करने बारा ।

इस अदालत में उप—मण्डलाधिकारी (ना०) महोदय चम्बा के कार्यालय पृष्ठांकन संख्या 3420/2025, दिनांक 23—05—2025 के माध्यम से प्राप्त दस्तावेज क्रमशः (१) जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) मुख्य चिकित्सा अधिकारी चम्बा के कार्यालय पत्र—संख्या HFW-B&D/CMO-CBA/2025/13126, दिनांक 12—06—2025, (२) शपथ पत्र आवेदिका, (३) शपथ—पत्र वाशिन्दगान देह, (४) जन्म रिपोर्ट, (५) अप्राप्यता प्रमाण—पत्र, (६) परिवार रजिस्टर नकल, (७) वोटर कार्ड, (८) आधार कार्ड जिसमें आवेदिका सविता कुमारी पुत्री श्री कंठ, गांव व डाकघर कोटी, उप—तहसील पुखरी, जिला चम्बा (हि०प्र०) की जन्म तिथि किन्हीं कारणों से पंचायत अभिलेख में दर्ज करने से रह गई है। परिणाम स्वरूप पंचायत जन्म पंजीकरण रजिस्टर में आवेदिका सविता कुमारी पुत्री श्री कंठ, गांव व डाकघर कोटी का नाम एवं जन्म तिथि दर्ज न हुआ है, जो नियमानुसार अनिवार्य है। इस विषय की पुष्टि शपथ—पत्र व जारी जन्म रिपोर्ट जो जिला पंजीकरण जन्म एवं मृत्यु अधिकारी चम्बा ने अपने प्रमाण—पत्र जो दिनांक 12—06—2025 को जारी हुआ है, उसमें की है।

अतः सर्वसाधारण को इस नोटिस के माध्यम से सूचित किया जाता है कि सविता कुमारी पुत्री श्री कंठ, गांव व डाकघर कोटी, उप—तहसील पुखरी, जिला चम्बा की जन्म तिथि 01—12—1970 जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13(३) के प्रावधानों के अन्तर्गत पंचायत के सम्बन्धित अभिलेख अथवा जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) द्वारा अभिलेख में दर्ज करने के आदेश पारित किये जाने हैं। अगर किसी को इस सम्बन्ध में कोई आपत्ति हो तो वह इस अदालत में नोटिस (इश्तहार) के जारी होने के एक माह के भीतर अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में आवेदिका सविता कुमारी पुत्री श्री कंठ, गांव व डाकघर कोटी, की जन्म तिथि सम्बन्धित अभिलेख में दर्ज करने के आदेश ग्राम पंचायत सचिव प्राहनवीं को पारित कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 25—06—2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
उप—तहसील पुखरी, जिला चम्बा (हि०प्र०)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, सांगला, तहसील सांगला, जिला किन्नौर (हि०प्र०)

मुकदमा संख्या : 78 / 2024 किस्म मुकदमा : जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण तारीख दायर : 20—02—2025

मुकदमा शीर्ष : श्रीमती दक्षिणा कुमारी पुत्री स्व० श्री भागी सुख, निवासी गांव थैमगरंग, डा० सांगला, तहसील सांगला, जिला किन्नौर (हि०प्र०) वादिया।

बनाम

आम जनता

प्रतिवादी ।

विषय.— जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की अधीन धारा 13(३) के अन्तर्गत जन्म तिथि दर्ज करने बारे।

श्रीमती दक्षिणा पुत्री स्व० श्री भागी सुख, निवासी गांव थैमगरंग, डा० सांगला, तहसील सांगला, जिला किन्नौर (हि०प्र०) ने अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में एक आवेदन—पत्र मय शपथ—पत्र मुख्य चिकित्सा अधिकारी

रिकांगपिओ के माध्यम से प्रस्तुत किया है कि श्रीमती दक्षिणा कुमारी की जन्म तिथि व नाम अज्ञानता के कारण ग्राम पंचायत थैमगरंग के सम्बन्धित दस्तावेजों में दर्ज नहीं करवाया गया है अब वादिया उपरोक्त जन्म तिथि 08-05-1980 का इन्द्राज ग्राम पंचायत थैमगरंग के जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करवाना चाहती है।

अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को श्रीमती दक्षिणा कुमारी पुत्री स्व0 श्री भागी सुख की जन्म तिथि 08-05-1984 का पंजीकरण ग्राम पंचायत थैमगरंग के जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करने बारे आम जनता को कोई आपत्ति हो तो वह इस इश्तहार के प्रकाशन की तिथि 27-07-2025 को अपना उजर/एतराज असालतन अथवा वकालतन हाजिर होकर प्रस्तुत कर सकते हैं। इसके उपरान्त कोई भी उजर/एतराज काबिले समायत न होगा तथा नियमानुसार जन्म तिथि दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जाएंगे।

अतः इश्तहार मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत हजा से आज दिनांक 27-06-2025 को जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
सांगला, तहसील सांगला, जिला किन्नौर (हि0प्र0)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, सांगला, तहसील सांगला, जिला किन्नौर (हि0प्र0)

मुकद्दमा संख्या : 04 / 2025 किस्म मुकद्दमा : जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण तारीख दायर : 20-02-2025

मुकद्दमा शीर्ष : श्री परमा नन्द पुत्र स्व0 श्री प्रेम, निवासी गांव व डा० सांगला, तहसील सांगला, जिला किन्नौर (हि0प्र0) वादी।

बनाम

आम जनता

प्रतिवादी।

विषय.— जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की अधीन धारा 13(3) के अन्तर्गत जन्म तिथि दर्ज करने बारे।

श्री परमा नन्द पुत्र स्व0 श्री प्रेम, निवासी गांव व डा० सांगला, तहसील सांगला, जिला किन्नौर (हि0प्र0) ने अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में एक आवेदन-पत्र मय शपथ-पत्र मुख्य चिकित्सा अधिकारी रिकांगपिओ के माध्यम से प्रस्तुत किया है कि श्री परमा नन्द की जन्म तिथि व नाम अज्ञानता के कारण ग्राम पंचायत सांगला के सम्बन्धित दस्तावेजों में दर्ज नहीं करवाया गया है। अब वादी उपरोक्त जन्म तिथि 23-09-1974 का इन्द्राज ग्राम पंचायत सांगला के जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करवाना चाहता है।

अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को श्री परमा नन्द पुत्र स्व0 श्री प्रेम की जन्म तिथि 23-09-1974 का पंजीकरण ग्राम पंचायत सांगला के जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करने बारे आम जनता को कोई आपत्ति हो तो वह इस इश्तहार के प्रकाशन की तिथि 20-05-2025 को अपना उजर/एतराज असालतन अथवा वकालतन हाजिर होकर प्रस्तुत कर सकते हैं। इसके उपरान्त कोई भी उजर/एतराज काबिले समायत न होगा तथा नियमानुसार जन्म तिथि दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जाएंगे।

अतः इश्तहार मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत हजा से आज दिनांक 08-05-2025 को जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
सांगला, तहसील सांगला, जिला किन्नौर (हि0प्र0)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, सांगला, तहसील सांगला, जिला किन्नौर (हि0प्र0)

मुकदमा संख्या : 05 / 2025 किस्म मुकदमा : जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण तारीख दायर : 18-05-2025

मुकदमा शीर्ष : सुश्री निकिता कुमारी पुत्री श्री रत्न सिंह, निवासी गांव व डा० कामरू, तहसील सांगला, जिला किन्नौर (हि0प्र0) वादिया।

बनाम

आम जनता

प्रतिवादी।

विषय.— जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की अधीन धारा 13(3) के अन्तर्गत जन्म तिथि दर्ज करने बारे।

सुश्री निकिता कुमारी पुत्री श्री रत्न सिंह, निवासी गांव व डा० कामरू, तहसील सांगला, जिला किन्नौर (हि0प्र0) ने अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में एक आवेदन-पत्र मय शपथ-पत्र मुख्य चिकित्सा अधिकारी रिकांगपिओ के माध्यम से प्रस्तुत किया है कि सुश्री निकिता कुमारी की जन्म तिथि अज्ञानता के कारण ग्राम पंचायत कामरू के सम्बन्धित दस्तावेजों में दर्ज नहीं करवाई गयी है अब वादिया उपरोक्त जन्म तिथि 01-01-1993 का इन्द्राज ग्राम पंचायत कामरू के जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करवाना चाहती है।

अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को सुश्री निकिता कुमारी पुत्री श्री रत्न सिंह की जन्म तिथि 01-01-1993 का पंजीकरण ग्राम पंचायत कामरू के जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करने बारे आम जनता को कोई आपत्ति हो तो वह इस इश्तहार के प्रकाशन की तिथि 27-07-2025 को अपना उजर/एतराज असालतन अथवा वकालतन हाजिर होकर प्रस्तुत कर सकते हैं। इसके उपरान्त कोई भी उजर/एतराज काबिले समायत न होगा तथा नियमानुसार जन्म तिथि दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जाएंगे।

अतः इश्तहार मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत हजा से आज दिनांक 27-06-2025 को जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
सांगला, तहसील सांगला, जिला किन्नौर (हि0प्र0)।

मुकदमा संख्या : 04 / 2025

किस्म मुकदमा : जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण

तारीख दायर : 09—05—2025

मुकदमा शीर्ष : श्रीमती उमा देवी पुत्री स्व0 श्री छेरिंग बर, निवासी गांव व डाठ ब्रुआ, तहसील सांगला, जिला किन्नौर (हि0प्र0) वादिया।

बनाम

आम जनता

प्रतिवादी।

विषय.— जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की अधीन धारा 13(3) के अन्तर्गत जन्म तिथि दर्ज करने वारे।

श्रीमती उमा देवी पुत्री स्व0 श्री छेरिंग बर, निवासी गांव व डाठ ब्रुआ, तहसील सांगला, जिला किन्नौर (हि0प्र0) ने अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में एक आवेदन—पत्र मय शपथ—पत्र मुख्य चिकित्सा अधिकारी रिकांगपिओ के माध्यम से प्रस्तुत किया है कि श्रीमती उमा देवी की जन्म तिथि व नाम अज्ञानता के कारण ग्राम पंचायत ब्रुआ के सम्बन्धित दस्तावेजों में दर्ज नहीं करवाया गया है अब वादिया उपरोक्त जन्म तिथि 01—02—1981 का इन्द्राज ग्राम पंचायत ब्रुआ के जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करवाना चाहती है।

अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को श्रीमती उमा देवी पुत्री स्व0 श्री छेरिंग बर की जन्म तिथि 01—02—1981 का पंजीकरण ग्राम पंचायत ब्रुआ के जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करने वारे आम जनता को कोई आपत्ति हो तो वह इस इश्तहार के प्रकाशन की तिथि 27—07—2025 को अपना उजर/एतराज असालतन अथवा वकालतन हाजिर होकर प्रस्तुत कर सकते हैं। इसके उपरान्त कोई भी उजर/एतराज काबिले समायत न होगा तथा नियमानुसार जन्म तिथि दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जाएंगे।

अतः इश्तहार मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत हजा से आज दिनांक 27—06—2025 को जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
सांगला, तहसील सांगला, जिला किन्नौर (हि0प्र0)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, सांगला, तहसील सांगला, जिला किन्नौर (हि0प्र0)

मुकदमा संख्या : 07 / 2025

किस्म मुकदमा : जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण

तारीख दायर : 09—05—2025

मुकदमा शीर्ष : श्री जय राम पुत्र स्व0 श्री चन्द्र पुर, निवासी गांव व डाठ सांगला, तहसील सांगला, जिला किन्नौर (हि0प्र0) वादी।

बनाम

आम जनता

प्रतिवादी।

विषय.— जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की अधीन धारा 13(3) के अन्तर्गत जन्म तिथि दर्ज करने वारे।

श्री जय राम पुत्र स्व० श्री चन्द्र पुर, निवासी गांव व डा० सांगला, तहसील सांगला, जिला किन्नौर (हि०प्र०) ने अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में एक आवेदन—पत्र मय शपथ—पत्र मुख्य चिकित्सा अधिकारी रिकांगपिओ के माध्यम से प्रस्तुत किया है कि श्री जय राम की जन्म तिथि व नाम अज्ञानता के कारण ग्राम पंचायत सांगला के सम्बन्धित दस्तावेजों में दर्ज नहीं करवाया गया है। अब वादी उपरोक्त जन्म तिथि 01-07-1965 का इन्द्राज ग्राम पंचायत सांगला के जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करवाना चाहता है।

अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को श्री जय राम पुत्र स्व० श्री चन्द्र पुर की जन्म तिथि 01-07-1965 का पंजीकरण ग्राम पंचायत सांगला के जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करने बारे आम जनता को कोई आपत्ति हो तो वह इस इश्तहार के प्रकाशन की तिथि 27-07-2025 को अपना उजर/एतराज असालतन अथवा वकालतन हाजिर होकर प्रस्तुत कर सकते हैं। इसके उपरान्त कोई भी उजर/एतराज काबिले समायत न होगा तथा नियमानुसार जन्म तिथि दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जाएंगे।

अतः इश्तहार मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत हजा से आज दिनांक 27-06-2025 को जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
सांगला, तहसील सांगला, जिला किन्नौर (हि०प्र०)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, सांगला, तहसील सांगला, जिला किन्नौर (हि०प्र०)

मुकदमा संख्या : 08 / 2025 किस्म मुकदमा : जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण तारीख दायर : 09-05-2025

मुकदमा शीर्ष : श्रीमती सुन्दर देवी पुत्री स्व० श्री लच्छी लाल, निवासी गांव व डा० ब्रुआ, तहसील सांगला, जिला किन्नौर (हि०प्र०) वादिया।

बनाम

आम जनता

प्रतिवादी।

विषय.— जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की अधीन धारा 13(3) के अन्तर्गत जन्म तिथि दर्ज करने बारे।

श्रीमती सुन्दर देवी पुत्री स्व० श्री लच्छी लाल, निवासी गांव व डा० ब्रुआ, तहसील सांगला, जिला किन्नौर (हि०प्र०) ने अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में एक आवेदन—पत्र मय शपथ—पत्र मुख्य चिकित्सा अधिकारी रिकांगपिओ के माध्यम से प्रस्तुत किया है कि श्रीमती सुन्दर देवी की जन्म तिथि व नाम अज्ञानता के कारण ग्राम पंचायत ब्रुआ के सम्बन्धित दस्तावेजों में दर्ज नहीं करवाया गया है अब वादिया उपरोक्त जन्म तिथि 03-11-1976 का इन्द्राज ग्राम पंचायत ब्रुआ के जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करवाना चाहती है।

अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को श्रीमती सुन्दर देवी पुत्री स्व० श्री लच्छी लाल की जन्म तिथि 03-11-1976 का पंजीकरण ग्राम पंचायत ब्रुआ के जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करने बारे आम जनता को कोई आपत्ति हो तो वह इस इश्तहार के प्रकाशन की तिथि 27-07-2025 को अपना उजर/एतराज असालतन अथवा वकालतन हाजिर होकर प्रस्तुत कर सकते हैं।

3744

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 10 जुलाई, 2025 / 19 आषाढ़, 1947

हैं। इसके उपरान्त कोई भी उजर/एतराज काबिले समायत न होगा तथा नियमानुसार जन्म तिथि दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जाएंगे।

अतः इश्तहार मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत हजा से आज दिनांक 27-06-2025 को जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
सांगला, तहसील सांगला, जिला किन्नौर (हि0प्र0)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, सांगला, तहसील सांगला, जिला किन्नौर (हि0प्र0)

मुकद्दमा संख्या : 09 / 2025 किस्म मुकद्दमा : जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण तारीख दायर : 09-05-2025

मुकद्दमा शीर्ष : श्री हंस राज पुत्र स्व0 श्री बद्री रत्न, निवासी गांव व डाठ ब्रुआ, तहसील सांगला, जिला किन्नौर (हि0प्र0) वादी।

बनाम

आम जनता

प्रतिवादी।

विषय.— जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की अधीन धारा 13(3) के अन्तर्गत जन्म तिथि दर्ज करने वारे।

श्री हंस राज पुत्र स्व0 श्री बद्री रत्न, निवासी गांव व डाठ ब्रुआ, तहसील सांगला, जिला किन्नौर (हि0प्र0) ने अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में एक आवेदन—पत्र मय शपथ—पत्र मुख्य चिकित्सा अधिकारी रिकांगपिओ के माध्यम से प्रस्तुत किया है कि श्री हंस राज की जन्म तिथि व नाम अज्ञानता के कारण ग्राम पंचायत ब्रुआ के सम्बन्धित दस्तावेजों में दर्ज नहीं करवाया गया है। अब वादी उपरोक्त जन्म तिथि 20-06-1969 का इन्द्राज ग्राम पंचायत ब्रुआ के जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करवाना चाहता है।

अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को श्री हंस राज पुत्र स्व0 श्री बद्री रत्न की जन्म तिथि 20-06-1969 का पंजीकरण ग्राम पंचायत ब्रुआ के जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करने वारे आम जनता को कोई आपत्ति हो तो वह इस इश्तहार के प्रकाशन की तिथि 27-07-2025 को अपना उजर/एतराज असालतन अथवा वकालतन हाजिर होकर प्रस्तुत कर सकते हैं। इसके उपरान्त कोई भी उजर/एतराज काबिले समायत न होगा तथा नियमानुसार जन्म तिथि दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जाएंगे।

अतः इश्तहार मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत हजा से आज दिनांक 27-06-2025 को जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
सांगला, तहसील सांगला, जिला किन्नौर (हि0प्र0)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, सांगला, तहसील सांगला, जिला किन्नौर (हि0प्र0)

मुकदमा संख्या : 10 / 2025 किस्म मुकदमा : जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण तारीख दायर : 09—05—2025

मुकदमा शीर्ष : श्रीमती मोहन कुमारी पुत्री स्व0 श्री मथुरा प्रसाद, निवासी गांव व डाठ0 सांगला, तहसील सांगला, जिला किन्नौर (हि0प्र0) वादिया।

बनाम

आम जनता

प्रतिवादी।

विषय.— जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की अधीन धारा 13(3) के अन्तर्गत जन्म तिथि दर्ज करने बारे।

श्रीमती मोहन कुमारी पुत्री स्व0 श्री मथुरा प्रसाद, निवासी गांव व डाठ0 सांगला, तहसील सांगला, जिला किन्नौर (हि0प्र0) ने अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में एक आवेदन—पत्र मय शपथ—पत्र मुख्य चिकित्सा अधिकारी रिकांगपिओ के माध्यम से प्रस्तुत किया है कि श्रीमती मोहन देवी की जन्म तिथि व नाम अज्ञानता के कारण ग्राम पंचायत सांगला के सम्बन्धित दस्तावेजों में दर्ज नहीं करवाया गया है अब वादिया उपरोक्त जन्म तिथि 22—06—1969 का इन्द्राज ग्राम पंचायत सांगला के जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करवाना चाहती है।

अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को श्रीमती मोहन कुमारी पुत्री स्व0 श्री मथुरा प्रसाद की जन्म तिथि 20—06—1969 का पंजीकरण ग्राम पंचायत सांगला के जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करने बारे आम जनता को कोई आपत्ति हो तो वह इस इश्तहार के प्रकाशन की तिथि 27—07—2025 को अपना उजर/एतराज असालतन अथवा वकालतन हाजिर होकर प्रस्तुत कर सकते हैं। इसके उपरान्त कोई भी उजर/एतराज काबिले समायत न होगा तथा नियमानुसार जन्म तिथि दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जाएंगे।

अतः इश्तहार मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत हजा से आज दिनांक 27—06—2025 को जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
सांगला, तहसील सांगला, जिला किन्नौर (हि0प्र0)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, सांगला, तहसील सांगला, जिला किन्नौर (हि0प्र0)

मुकदमा संख्या : 14 / 2025 किस्म मुकदमा : जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण तारीख दायर : 09—05—2025

मुकदमा शीर्ष : श्रीमती गीता देवी पुत्री स्व0 श्री गंगा सैन, निवासी गांव व डाठ0 ब्रुआ, तहसील सांगला, जिला किन्नौर (हि0प्र0) वादिया।

बनाम

आम जनता

प्रतिवादी।

विषय.— जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की अधीन धारा 13(3) के अन्तर्गत जन्म तिथि दर्ज करने वारे।

श्रीमती गीता देवी पुत्री स्व0 श्री गंगा सैन, निवासी गांव व डा० ब्रुआ, तहसील सांगला, जिला किन्नौर (हि०प्र०) ने अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में एक आवेदन—पत्र मय शपथ—पत्र मुख्य चिकित्सा अधिकारी रिकांगपिओ के माध्यम से प्रस्तुत किया है कि श्रीमती गीता देवी की जन्म तिथि व नाम अज्ञानता के कारण ग्राम पंचायत ब्रुआ के सम्बन्धित दस्तावेजों में दर्ज नहीं करवाया गया है अब वादिया उपरोक्त जन्म तिथि 20–10–1981 का इन्द्राज ग्राम पंचायत ब्रुआ के जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करवाना चाहती है।

अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को श्रीमती गीता देवी पुत्री स्व0 श्री गंगा सैन की जन्म तिथि 27–10–1981 का पंजीकरण ग्राम पंचायत ब्रुआ के जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करने वारे आम जनता को कोई आपत्ति हो तो वह इश्तहार के प्रकाशन की तिथि 27–07–2025 को अपना उजर/एतराज असालतन अथवा वकालतन हाजिर होकर प्रस्तुत कर सकते हैं। इसके उपरान्त कोई भी उजर/एतराज काबिले समायत न होगा तथा नियमानुसार जन्म तिथि दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जाएंगे।

अतः इश्तहार मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत हजा से आज दिनांक 27–06–2025 को जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
सांगला, तहसील सांगला, जिला किन्नौर (हि०प्र०)।

ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, सांगला, जिला किन्नौर (हि०प्र०)

मुकदमा संख्या : 05 / 2025 किस्म मुकदमा : जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण तारीख दायर : 25–03–2025

मुकदमा शीर्ष : श्री मदन सैन पुत्र स्व0 श्री नारयण सुख, निवासी गांव व डा० सांगला, तहसील सांगला, जिला किन्नौर (हि०प्र०)

बनाम

आम जनता

प्रतिवादी।

विषय.— जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की अधीन धारा 13(3) के अन्तर्गत जन्म तिथि दर्ज करने वारे।

श्री मदन सैन पुत्र स्व0 श्री नारयण सुख, निवासी गांव व डा० सांगला, तहसील सांगला, जिला किन्नौर (हि०प्र०) ने अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में एक आवेदन—पत्र मय शपथ—पत्र मुख्य चिकित्सा अधिकारी रिकांगपिओ के माध्यम से प्रस्तुत किया है कि श्री मदन सैन की जन्म तिथि व नाम अज्ञानता के कारण ग्राम पंचायत सांगला के सम्बन्धित दस्तावेजों में दर्ज नहीं करवाया गया है। अब वादी उपरोक्त जन्म तिथि 01–07–1956 का इन्द्राज ग्राम पंचायत सांगला के जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करवाना चाहता है।

अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को श्री मदन सैन पुत्र स्व0 श्री नारयण सुख की जन्म तिथि 01–07–1956 का पंजीकरण ग्राम पंचायत सांगला के जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करने वारे आम जनता को कोई आपत्ति हो तो वह इस इश्तहार के प्रकाशन की

तिथि 27-07-2025 को अपना उजर/एतराज असालतन अथवा वकालतन हाजिर होकर प्रस्तुत कर सकते हैं। इसके उपरान्त कोई भी उजर/एतराज काबिले समायत न होगा तथा नियमानुसार जन्म तिथि दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जाएंगे।

अतः इश्तहार मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत हजा से आज दिनांक 27-06-2025 को जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
सांगला, तहसील सांगला, जिला किन्नौर (हि0प्र0)।

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, सांगला, जिला किन्नौर (हि0प्र0)

मुकद्दमा संख्या : 32/2024 किस्म मुकद्दमा : जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण तारीख दायर : 19-10-2024

मुकद्दमा शीर्ष : श्री पाला नन्द पुत्र श्री पण्डे राम, निवासी गांव व डाठ किल्बा, तहसील सांगला, जिला किन्नौर (हि0प्र0) वादी।

बनाम

आम जनता

प्रतिवादी।

विषय.— जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की अधीन धारा 13(3) के अन्तर्गत जन्म तिथि दर्ज करने वारे।

श्री पाला नन्द पुत्र श्री पण्डे राम, निवासी गांव व डाठ किल्बा, तहसील सांगला, जिला किन्नौर (हि0प्र0) ने अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में एक आवेदन—पत्र मय शपथ—पत्र मुख्य चिकित्सा अधिकारी रिकांगपिओ के माध्यम से प्रस्तुत किया है कि श्री विककी की जन्म तिथि व नाम अज्ञानता के कारण ग्राम पंचायत किल्बा के सम्बन्धित दस्तावेजों में दर्ज नहीं करवाया गया है। अब वादी उपरोक्त जन्म तिथि 01-05-2009 का इन्द्राज ग्राम पंचायत किल्बा के जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करवाना चाहता है।

अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को श्री विककी पुत्र स्व0 श्री विशाल सिंह की जन्म तिथि 01-05-2009 का पंजीकरण ग्राम पंचायत किल्बा के जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करने वारे आम जनता को कोई आपत्ति हो तो वह इस इश्तहार के प्रकाशन की तिथि 27-07-2025 को अपना उजर/एतराज असालतन अथवा वकालतन हाजिर होकर प्रस्तुत कर सकते हैं। इसके उपरान्त कोई भी उजर/एतराज काबिले समायत न होगा तथा नियमानुसार जन्म तिथि दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जाएंगे।

अतः इश्तहार मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत हजा से आज दिनांक 27-06-2025 को जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
सांगला, तहसील सांगला, जिला किन्नौर (हि0प्र0)।

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, सांगला, जिला किन्नौर (हि0प्र0)

मुकदमा संख्या : 39 / 2024 किस्म मुकदमा : जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण तारीख दायर : 19—10—2024

मुकदमा शीर्ष : श्रीमती राधा देवी पुत्री श्री भाग लाल, निवासी गांव व डा० सापनी, तहसील सांगला, जिला किन्नौर (हि0प्र0) वादिया।

बनाम

आम जनता

प्रतिवादी।

विषय.— जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की अधीन धारा 13(3) के अन्तर्गत जन्म तिथि दर्ज करने बारे।

श्रीमती शौनू देवी पत्नी श्री भाग लाल, निवासी गांव व डा० सापनी, तहसील सांगला, जिला किन्नौर (हि0प्र0) ने अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में एक आवेदन—पत्र मय शपथ—पत्र मुख्य चिकित्सा अधिकारी रिकांगपिओ के माध्यम से प्रस्तुत किया है कि उनकी पुत्री राधा देवी की जन्म तिथि व नाम अज्ञानता के कारण ग्राम पंचायत सापनी के सम्बन्धित दस्तावेजों में दर्ज नहीं करवाया गया है। अब वादी उपरोक्त जन्म तिथि 04—04—1988 का इन्द्राज ग्राम पंचायत सापनी के जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करवाना चाहती है।

अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को श्रीमती राधा देवी पुत्री श्री भाग लाल की जन्म तिथि 04—04—1988 का पंजीकरण ग्राम पंचायत सापनी के जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करने बारे आम जनता को कोई आपत्ति हो तो वह इस इश्तहार के प्रकाशन की तिथि 27—07—2025 को अपना उजर/एतराज असालतन अथवा वकालतन हाजिर होकर प्रस्तुत कर सकते हैं। इसके उपरान्त कोई भी उजर/एतराज काबिले समायत न होगा तथा नियमानुसार जन्म तिथि दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जाएंगे।

अतः इश्तहार मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत हजा से आज दिनांक 27—06—2025 को जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
सांगला, तहसील सांगला, जिला किन्नौर (हि0प्र0)।

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, सांगला, जिला किन्नौर (हि0प्र0)

मुकदमा संख्या : 26 / 2024 किस्म मुकदमा : जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण तारीख दायर : 19—10—2024

मुकदमा शीर्ष : श्रीमती संध्या पुत्री श्री कृपा राम, निवासी गांव व डा० सांगला, तहसील सांगला, जिला किन्नौर (हि0प्र0) वादिया।

बनाम

आम जनता

प्रतिवादी।

विषय— जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की अधीन धारा 13(3) के अन्तर्गत जन्म तिथि दर्ज करने वारे।

श्रीमती संध्या पुत्री श्री कृपा राम, निवासी गांव व डाठो सांगला, तहसील सांगला, जिला किन्नौर (हि0प्र0) ने अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में एक आवेदन—पत्र मय शपथ—पत्र मुख्य चिकित्सा अधिकारी रिकांगपिओ के माध्यम से प्रस्तुत किया है कि श्रीमती संध्या कुमारी की जन्म तिथि व नाम अज्ञानता के कारण ग्राम पंचायत सांगला के सम्बन्धित दस्तावेजों में दर्ज नहीं करवाया गया है। अब वादी उपरोक्त जन्म तिथि 05-11-1984 का इन्द्राज ग्राम पंचायत सांगला के जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करवाना चाहती है।

अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को श्रीमती संध्या पुत्री श्री कृपा राम की जन्म तिथि 05-11-1984 का पंजीकरण ग्राम पंचायत सांगला के जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करने वारे आम जनता को कोई आपत्ति हो तो वह इस इश्तहार के प्रकाशन की तिथि 27-07-2025 को अपना उजर/एतराज असालतन अथवा वकालतन हाजिर होकर प्रस्तुत कर सकते हैं। इसके उपरान्त कोई भी उजर/एतराज काबिले समायत न होगा तथा नियमानुसार जन्म तिथि दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जाएंगे।

अतः इश्तहार मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत हजा से आज दिनांक 27-06-2025 को जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
सांगला, तहसील सांगला, जिला किन्नौर (हि0प्र0)।

CHANGE OF NAME

I, Ramesh Kumar s/o Sh. Shashi Ram, Village Ram Nagari, P.O. Mandal, Tehsil Jubbal, District Shimla (H.P.) declare that my name is wrongly mentioned as Ramesh in Aadhar Card. Therefore it should be changed to Ramesh Kumar. Note the relevant information.

RAMESH KUMAR
s/o Sh. Shashi Ram,
Village Ram Nagari, P.O. Mandal,
Tehsil Jubbal, District Shimla (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Dushyant s/o Sh. Tula Ram, r/o Village Kalyunti, P.O. & Sub-Tehsil Jalog, District Shimla (H.P.) declare that I have changed my name from Dushyant (Previous Name) to Dushyant Attri (New Name). All concerned please note.

DUSHYANT
s/o Sh. Tula Ram,
r/o Village Kalyunti,
P.O. & Sub-Tehsil Jalog, District Shimla (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Ankur d/o Sh. Piar Chand Kanwar, residing at Ward 1, Tika Gharoon, P.O. Dehan, Tehsil Palampur, District Kangra (H.P.)-176102 have changed my name to Ankur Dhadwal and will be known as Ankur Dhadwal.

ANKUR
*d/o Sh. Piar Chand Kanwar,
 residing at Ward 1, Tika Gharoon,
 P.O. Dehan, Tehsil Palampur, District Kangra (H.P.).*

CORRECTION OF NAME

I, Mamta d/o Sh. Vir Kumar Singh, r/o V.P.O. Jhakri, Tehsil Rampur, District Shimla (H.P.)-172201 declare that in my Aadhar Card my name is wrongly entered as Mamta Kumari which should be corrected to Mamta. Please correct this.

MAMTA
*d/o Sh. Vir Kumar Singh,
 r/o V.P.O. Jhakri,
 Tehsil Rampur, District Shimla (H.P.).*

CHANGE OF NAME

I, Kunti Devi (New Name) w/o Late Sh. Brij Mohan, r/o Village Hatkoti, P.O. Hatkoti, Tehsil Jubbal, District Shimla (H.P.) declare that I have changed my name from Shakuntla Devi (Previous Name) to Kunti Devi (New Name). All concerned please may note.

KUNTI DEVI
*w/o Late Sh. Brij Mohan ,
 r/o Village Hatkoti, P.O. Hatkoti,
 Tehsil Jubbal, District Shimla (H.P.).*

CHANGE OF NAME

I, Suhari Devi w/o Sh. Kamal Jeet, r/o Village Darbor, P.O. & Tehsil Galore, District Hamirpur (H.P.) declare that I have changed my name from Suhadi Devi to Suhari Devi for all purposes in future. Please note.

SUHARI DEVI
*w/o Sh. Kamal Jeet,
 r/o Village Darbor,
 P.O. & Tehsil Galore,
 District Hamirpur (H.P.).*

CORRECTION OF NAME

I, No. 192289Y, Ex, MCPO-II Madan Lal s/o Late Sh. Surjan Ram, r/o Village Suwala, P.O. Naganpatt, Tehsil Dharamshala, District Kangra (H.P.) declare that my both daughter's name in my Navy records has been wrongly entered as Neha and Nidhi. Whereas both correct names are Neha Verma and Nidhi Verma.

MADAN LAL
*s/o Late Sh. Surjan Ram,
r/o Village Suwala, P.O. Naganpatt,
Tehsil Dharamshala, District Kangra (H.P.).*

CHANGE OF NAME

I, Tapinder Singh s/o Sh. Kishan Singh aged 38 years, r/o Village Kathla, P.O. Panjahal, Tehsil Nahan, District Sirmaur (H.P.), Aadhar No. 6213 5142 0594 declare that I have changed the name of my son from Chaten Thakur (Aadhar No. 4285 4180 5656) to Chetan Thakur. All concerned please note.

Tapinder Singh
*s/o Sh. Kishan Singh
r/o Village Kathla, P.O. Panjahal,
Tehsil Nahan, District Sirmaur (H.P.).*

CORRECTION OF NAME

I, Chet Ram s/o Sh. Thali, Village Rahisari, P.O. Dhaugi, Tehsil Sainj, District Kullu (H.P.) declare that my daughter Lata Devi's name in the School Certificate is Lata Devi, which is correct. By mistake, my daughter's name has been recorded as Laxmi Devi in her Aadhar Card No. 7093 1291 6418, which is wrong. This should be corrected and Laxmi Devi should be replaced by Lata Devi in her Aadhar Card.

CHET RAM
*s/o Sh. Thali,
Village Rahisari, P.O. Dhaugi,
Tehsil Sainj, District Kullu (H.P.).*

नाम परिवर्तन

मैं, देवेंद्र सिंह तोमर सुपुत्र श्री मदन सिंह, ग्राम शिलाई, डा० व तहसील शिलाई, जिला सिरमौर (हि०प्र०) घोषणा करता हूँ कि मेरे पुत्र विक्रमादित्य सिंह तोमर का सही नाम सभी सरकारी दस्तावेजों में दर्ज है, आधार कार्ड में वासु तोमर गलत नाम दर्ज है, नाम दुरुस्त किया जाए।

देवेंद्र सिंह तोमर
सुपुत्र श्री मदन सिंह,
ग्राम शिलाई, डा० व तहसील शिलाई, जिला सिरमौर (हि०प्र०)।

CHANGE OF NAME

I, Veena Devi, Village Lohna Maul Khad, P.O. Bandla, Tehsil Palampur, District Kangra (H.P.) that spouse of No. 202814T Late MCPO 2 RCIH/SLT Subhash Chand in the Navy service record declare that I have changed my daughter's name from Anita Kumari to Anita Devi.

VEENA DEVI
*Village Lohna Maul Khad, P.O. Bandla,
Tehsil Palampur, District Kangra (H.P.).*

CHANGE OF NAME

I, Savita Thakur (New name) w/o Sh. Khema Ram Thakur aged about 57 years, r/o Thakur Niwas, Cemetery Road Sanjauli, Shimla (H.P.)-171006 declare that I have changed my name from Sarita Thakur (Previous Name) to Savita Thakur (New Name). All concerned please may note.

SAVITA THAKUR,
*w/o Sh. Khema Ram Thakur,
r/o Thakur Niwas,
Cemetery Road Sanjauli, Shimla (H.P.).*